जन घोषणा पत्र - II

राजस्थान घोषणा पत्र

2023

यह दस्तावेज़ प्रदेश के कोने-कोने से प्राप्त 3.15 करोड़ सुझावों के गहन परीक्षण एवं उन पर व्यापक चर्चा के उपरान्त तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का राजस्थान मॉडल

राजस्थान यह प्रदर्शित करने की राह पर चल पड़ा है कि सभी नागरिकों और निवासियों को जन्म से मृत्यु-पर्यंत व्यापक सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जानी चाहिए। अगले पांच वर्षों का उपयोग इस ढांचे को और सुदृढ़ करने और विश्व द्वारा अनुकरणीय एक मॉडल विकसित करने के लिए किया जाएगा।

स्वास्थ्य अधिकार कानून के तहत सभी नागरिकों को निःशुल्क और समान स्वास्थ्य सेवाएँ पाने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार होगा।

राजस्थान के सभी निवासियों को दुर्घटना और चिकित्सा बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी। जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए गारंटीशुदा पेंशन और जो काम कर सकते हैं उनके लिए रोजगार गारंटी का प्रावधान होगा।

आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और मातृत्व लाभों को मज़बूत किया जाएगा ताकि आबादी के किसी भी वर्ग को भूख और कुपोषण से पीड़ित न होना पड़े।

राज्य सरकार द्वारा बिजली, स्वच्छता, सड़क कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया जाएगा।

जो लोग बुनियादी सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए उन सेवाओं तक न्यूनतम स्तर की निःशुल्क और समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा मॉडल उन व्यक्तियों और समुदायों को समावेश, विविधता, गरिमा और विशेष सहायता के सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक न्याय का एक मॉडल भी प्रदान करेगा जिन्हें अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। सभी किसानों, श्रमिकों, कमजोर समूहों और सभी नागरिकों के लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करना ही प्रशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।

भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राजस्थान में कल्याणकारी राज्य की सरकारी नीति के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे।

राज्य के नागरिकों की भागीदारी के साथ, राजस्थान सरकार निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की प्रगति को चिह्नित करने के लिए विकास और सामाजिक लोकतंत्र संकेतकों की एक श्रृंखला बनाने का प्रयास करेगी-

- सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता
- अवसर की समानता
- रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और समानता
- पारदर्शी, जवाबदेह और करुणामय शासन
- पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा
- आपदा प्रबंधन
- शहरी और ग्रामीण विकास
- आर्थिक विकास

सरकार के पहले ही वर्ष में विकास और सामाजिक लोकतंत्र सूचकांक विकसित किया जाएगा और आने वाले वर्षों में प्रगति के संकेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा।

प्राक्कथन

जनघोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर बनाया जाने वाला एक दस्तावेज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है कि वही वादे किए जाएं जो पूरे किए जा सकें इसलिए घोषणा पत्र में वही वादे किए जा रहे हैं जो निभाए जा सकें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1998,2008 एवं 2018 में जनघोषणा पत्र को पहली कैबिनेट बैठक में एक नीतिगत दस्तावेज के तौर पर सहमति दी गयी एवं सरकार ने 5 वर्षों तक इसी के आधार पर काम किया।

2018 के जनघोषणा पत्र के 96% वादों को पूरा किया गया एवं घोषणा पत्र में किए गए वादों के अतिरिक्त भी कार्य किए गए। इन कामों की बदौलत राजस्थान के एक मजबूत भविष्य की बुनियाद रखी गई है और 2030 तक राजस्थान को देश में नंबर 1 बनाने का संकल्प किया गया है।

अब हम 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जनघोषणा पत्र लेकर आए हैं जो राजस्थान को नंबर 1 बनाने के मिशन की ओर आगे बढ़ाने का रोड़मैप है। यह राजस्थान को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज है जिसमें समाज के सभी वर्गों से विस्तृत चर्चा कर उनके सुझावों को शामिल किया गया है।

हम राजस्थान को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मूलभूत सुविधाओं के विकास में देश में सबसे आगे लेकर जाएंगे। हम जनघोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे एवं सामाजिक सौहार्द को स्थापित रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जनघोषणा पत्र राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेगा एवं जनता का पूर्ण समर्थन इस जनघोषणा पत्र को मिलेगा।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

प्राक्कथन

मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस जनघोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व और आनंद महसूस कर रहा हूँ। यह घोषणा पत्र राजस्थान के 3.15 करोड़ नागरिकों के सुझावों पर आधारित है और इसे विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है। मैं समिति के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस दस्तावेज में राजस्थान के नागरिकों की जन-आंकांक्षाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। यह घोषणा पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के हर नागरिक की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है। हम सरकार में आते ही इसे एक प्रेरक दस्तावेज के रूप में मानेंगे और इस पर काम करेंगे। हमारा वादा है कि हर उम्मीद और सपने को पूरा करने के लिए हम मजबूती से प्रतिबद्ध रहेंगे।

हमारी सरकार ने महामारी की विपरीत परिस्थितियों में संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके उन योजनाओं पर काम किया है जो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करती हैं। अब हमें प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में पहचान दिलाने का समय आ गया है। यह घोषणा पत्र उस समृद्धि के मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हमारे नेताओं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। राजस्थान मेरा परिवार है और मैं इस परिवार की तरक्की के लिए यह 'जन-घोषणा पत्र' आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में हमें आपका अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त होगा और हम फिर से राजस्थान प्रदेश के इतिहास में नया उज्जवल अध्याय जोड़ेंगे।

काम किया हैं दिल से
कांग्रेस फिर से.....

गोविन्द सिंह डोटासरा
अध्यक्ष
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी

प्राक्कथन

आगामी चुनावों हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी के नेतृत्व में तैयार किये गए कांग्रेस पार्टी के इस घोषणापत्र को प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा हैं। यह घोषणा पत्र एक व्यापक और समावेशी प्रक्रिया का परिणाम हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने की रही है कि हर क्षेत्र की आवाज़ को न केवल सुना जाए बल्कि इस दस्तावेज़ के खाके में इसे उपयुक्त तरीके से शामिल किया जाए।

इसकी निर्माण प्रक्रिया में हमने विभिन्न समुदायों, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बातचीत और परामर्श किया। प्रस्तुत किया जा रहा दस्तावेज़ सामूहिक आकांक्षाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं। यह सहभागिता की भावना का एक प्रमाण हैं जो हमारे लोकतान्त्रिक मूल्यों को रेखांकित करता हैं। यह घोषणापत्र समावेशी लोकाचार का प्रतिबिंब है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती से खड़ी रही हैं, इसके साथ ही यह हमारी कल्पनाओं और विचारों की एक सुरुचिपूर्ण तस्वीर हैं जो एक बेहतर और न्यायोचित भविष्य के लिए हमारे नजरिये को साकार करेगी।

डॉ.सी.पी.जोशी
चेयरपर्सन
घोषणा पत्र समिति

विषयवस्तु

1. राजस्थान के बढ़ते कदम 1
2. राजस्थान के लिए हमारी 7 गारंटी 2
3. सरकार की तत्कालिक प्राथमिकताएं 3-5

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसान
   - 4.1 कृषि एवं किसान 6-8
   - 4.2 पशुपालन एवं मत्स्य पालन 9-10
   - 4.3 सहकारिता 11-12
   - 4.4 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 13-17

5. युवा शक्ति
   - 5.1 युवा विकास एवं खेल 18-22
   - 5.2 रोजगार एवं श्रम 23-25

6. महिला सशक्तिकरण 26-28

7.शिक्षा 29-31

8. स्वास्थ्य
   - 8.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 32-34
   - 8.2 खाद्य सुरक्षा 35

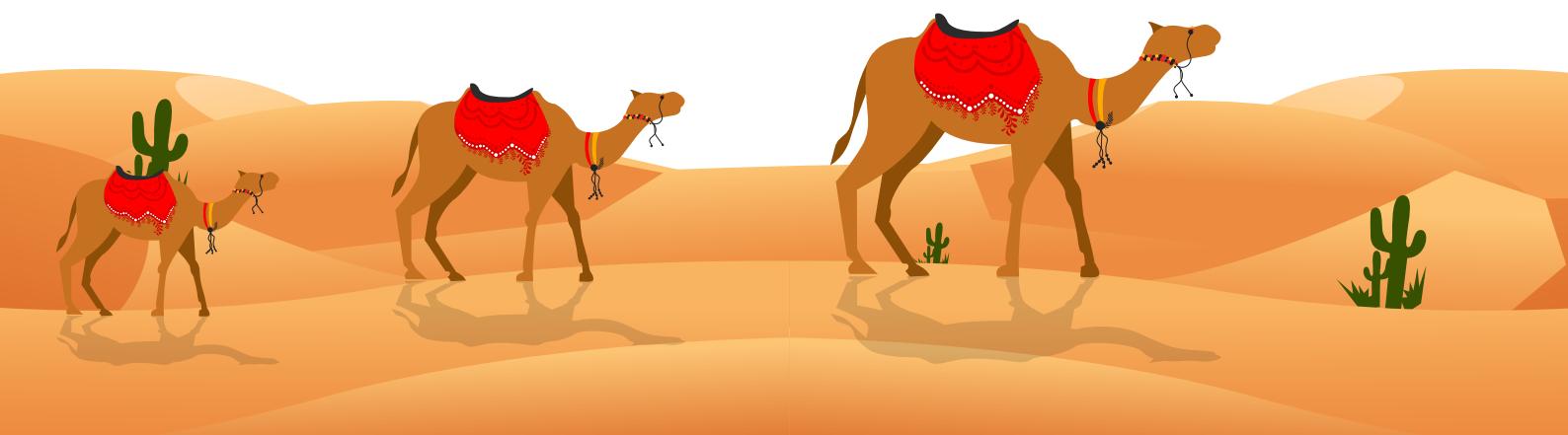

9.आधारभूत संरचना
9.1 पेय जल 36-37
9.2 ऊर्जा 38-39
9.3 सड़क मार्ग एवं परिवहन 40-42
9.4 खनन एवं खनिज 43
9.5 उद्योग एवं व्यापार 44-49
9.6 सूचना प्रौद्योगिकी विकास 50
9.7 वन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन 51-53
9.8 शहरी विकास 54-57
9.9 पर्यटन 58-61

10. सामजिक कल्याण
10.1 बाल कल्याण 62-63
10.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु कल्याण 64-66
10.3 अल्पसंख्यक कल्याण 67
10.4 दिव्यांग, निराश्रित एवं बुजुर्ग 68
10.5 पूर्व सैनिक 69

11. प्रशासन
11.1 शासन 70-73
11.2 नियम एवं क़ानून 74

12. कला एवं संस्कृति 75

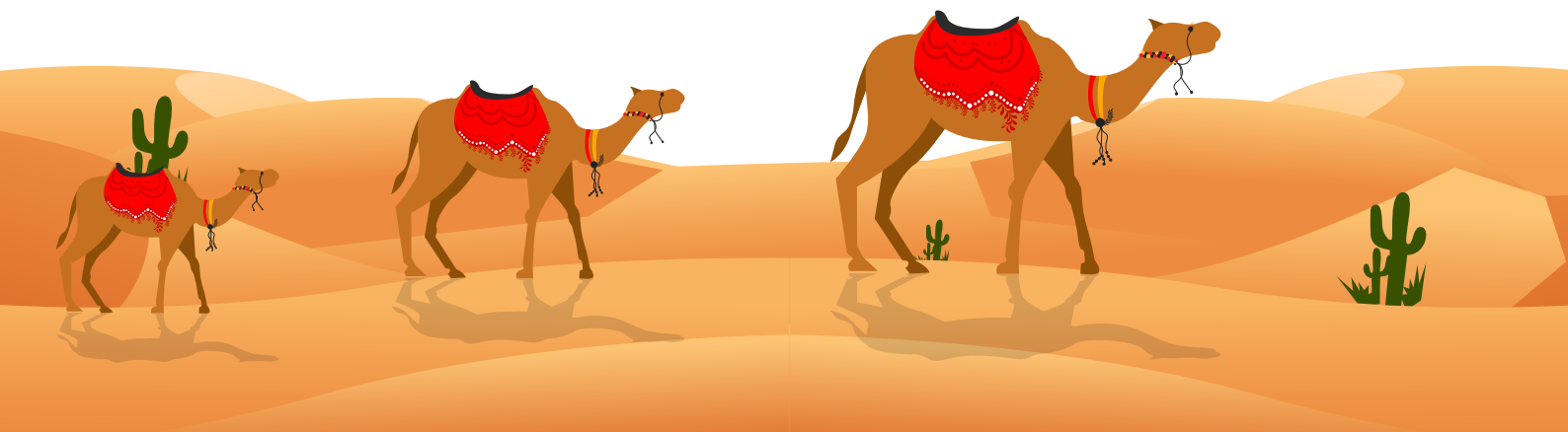

राजस्थान के बढ़ते कदम

हमारी आर्थिक तरक्की की झलकियाँ

01. वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आर्थिक विकास

वर्तमान सरकार के 2018 से 2023 के कार्यकाल में जनकेंद्रित और समावेशी आर्थिक नीतियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है:-

- हमारे कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 46.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। प्रति व्यक्ति आय में देश में राजस्थान का स्थान जो भाजपा के कार्यकाल में 2017-18 में 30वां था, हमारे प्रयासों से 2022 में 12वे स्थान पर लाने में कामयाबी हासिल की हैं । 2030 तक हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नंबर एक बनाने के लिए कृत संकल्पित है।

- GSDP में भी पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2021-22 में 19.50 प्रतिशत हासिल कि जो कि पूरे देश में पांचवें स्थान पर है।

- कृषि में प्रगति और नवाचार का नया अध्याय लिखते हुए 2022 में कृषि बजट प्रारंभ किया गया। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में वार्षिक वृद्धि दर देश में चौथे स्थान पर रही जो कि भाजपा शासनकाल में दसवें स्थान पर थी। खाद्यान्न उत्पादन में 2022 में 8.10% की दर से वृद्धि हुई जो अखिल भारतीय वृद्धि दर से लगभग दुगनी थी।

- अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण की वृद्धि दर में राज्य का स्थान वर्तमान में सातवां हैं जबकि भाजपा शासन काल में 12वां था।

- हमारी सरकार के लोकानुकूल कर सुधारो के परिणाम स्वरूप सरकार ने कर राजस्व में 2021-22 में 24.5% तथा 2022-23 में 16.7% की वृद्धि की जो है, 2013-14 के बाद सर्वाधिक है।

नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने एवं महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा 7 महत्वपूर्ण गारंटियाँ दी गयी हैं। ये गारंटियाँ महिलाओं, युवाओं और बच्चों को सशक्त बनाने और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन गारंटियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य राज्य के विकास और यहाँ के रहवासियों के समग्र रूप से उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक समावेशी और समृद्ध राजस्थान बनाना है।

राजस्थान के लिए हमारी 7 गारंटिया

1. गृह लक्ष्मी गारंटी: हर घर की मुखिया महिला को 10,000 रुपए वार्षिक

इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर साल रुपए 10,000 गारंटी से दिए जायेंगे। इससे गृहिणियों के श्रम को सम्मान व आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान होगी।

2. गौधन गारंटी – 2 रुपए प्रति किलो गोबर की सरकारी खरीद

इसके तहत गौवंशपालकों से रुपए 2/किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को समृद्धि मिलेगी और खाद निर्माण से कृषि में उन्नति होगी व भूमि की उर्वरता बढ़ेगी।

3. मुफ़्त लैपटॉप/टैबलेट की गारंटी – प्रत्येक विद्यार्थी को लैपटॉप की सुविधा

इसके तहत राजकीय महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय फ्री लैपटॉप/टेबलेट दिया जाएगा। जिससे शिक्षा व संचार का आधुनिकीकरण होगा तथा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का भाव आएगा।

4. चिरंजीवी आपदा राहत बीमा की गारंटी – 15 लाख का निःशुल्क बीमा कवर

इसके तहत प्राकृतिक आपदा प्रभावित प्रति परिवार को रुपए 15 लाख तक का फ्री बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।यह बीमा बाढ़, तूफ़ान, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा कवच बनेगा।

5. अंग्रेजी माध्यम शिक्षा – चलो दुनिया से बात करे और भविष्य के रास्ते खोले

इसके तहत हर इच्छुक बच्चे को मुफ्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा का अवसर गारंटी से मिलेगा। जिससे बच्चे देश दुनिया से जुड़ सकेंगे, उनके अवसरों में वृद्धि होगी और अभिभावकों का आर्थिक भार कम होगा।

6. 500 रुपये में गैस सिलेंडर – गैस का खर्च उठाएंगे, खुशहाली लायेंगे
(भविष्य में इसे 400 रुपए करने की गारंटी देते हैं)

कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार NFSA एवं BPL परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, NFSA एवं BPL परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।

7. OPS – सेवा का सम्मान

ओ.पी.एस. को मजबूत करने हेतु क़ानून का निर्माण किया जाएगा।

3. सत्ता में आने के बाद सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताएँ

1. किसानों का कल्याण:

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य:** हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)" गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
- **सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण:** सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे।
- **12 मिशनों का विस्तार:** कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें "दो-गुना" करेंगे।
- **कृषि प्रोन्नति:** राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)" के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।

2. युवा एवं रोजगार:

- **रोजगार सृजन:** पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे।
- **पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना:** पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- **रोजगार संबंधी समस्याओं का निदान:** बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु "TOLL FREE CALL CENTER" के साथ-साथ 'e-Employment Exchange' की सुविधा आरंभ करेंगे।

3. महिला शक्ति

महिला सुरक्षा के उपाय

- महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गाँव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे।
- हम यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।

महिला सशक्तिकरण

- राज्य द्वारा संचालित Roadways बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन।
- हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को "इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन" प्रदान करेंगे।

4. जातिगत जनगणना:

- समाज के सभी तबकों के लिए समान सामजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

- मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रूपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे।
- राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।
- संतान सुख़ से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उदेश्य से 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में 'In vitro fertilization (IVF)' पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।

6. शिक्षा:

- राज्य में शिक्षा की गारंटी क़ानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

7. श्रम और लघु व्यवसाय:

- ग्रामीण रोजगार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।
- शहरी रोजगार: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक "व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना" लागू करेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- MSME के विस्तार के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देकर इसका विस्तार करेंगे।
- ऑटो और टैक्सी चालकों को "गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम" में शामिल करने के लिए क़ानून में संशोधन किया जाएगा, जिससे एक अधिक समावेशी कल्याण प्रक्रिया तैयार होगी।

8. कार्मिक:

- OPS को निरंतर जारी रखने के लिए क़ानून बनाया जाएगा।
- चयनित वेतनमान (9-18-27) के उपरान्त चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे।
- मंत्रालयिक सहित विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों की वेतन (Pay Scale) सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करेंगे।
- विभिन्न राजकीय सेवाओं में APEX Scale पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

9. शहरी विकास:

- शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

10. सुशासन:

- सुशासन के लिए "जवाबदेही तथा स्वतःसेवा प्रदायगी क़ानून" (Accountability and Auto Service Delivery Act) लेकर आयेंगे।

11. आधारभूत संरचना का विकास:

- ऐसे गाँव/ ढाणियाँ जहाँ भी 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

12. 500 रुपये में गैस सिलेंडर:

- कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार NFSA एवं BPL परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, NFSA एवं BPL परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र राजस्थान के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकता, प्रगति और समावेशिता की साझा शक्ति में हमारा अटूट विश्वास हैं, और हम अपनी इस कल्पना को साकार करने के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लेते हैं, जहाँ हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सके जो हमारे महान राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि के दरवाज़े खोले।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसान

4.1 कृषि एवं किसान

कृषि के क्षेत्र में, राजस्थान कांग्रेस परिवर्तनकारी कदम उठाने का संकल्प लेती हैं:

01. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना:
बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार में होने वाली गिरावट से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को सीधे मुआवजा देने हेतु एक नई योजना की शुरुआत करेंगे।

02. फसल बीमा सुधार:
दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी द्वारा समर्थित एक सरलीकृत फसल बीमा योजना शुरू करेंगे।

03. सहकारी बैंकिंग का सहयोग:
सहकारी बैंकों से सभी किसानों को ब्याज मुक्त 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण प्रदान करेंगे।

04. बाजार मूल्य जोखिम बीमा:
उपज जोखिम के अलावा बाजार मूल्य जोखिम का बीमा करने के विकल्पों को खोजेंगे।

05. बिजली आपूर्ति:
किसानों को प्रत्येक वर्ष नवंबर से मार्च के महीने में प्रतिदिन 8 घंटे 3-फेज बिजली प्रदान करेंगे।

06. सरस डेयरी सहयोग:
किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा सरस डेयरी को दूध बेचने पर प्राप्त होने वाले अनुदान में वृध्दि करेंगे।

07. कृषि-मंडियों का विकास:
स्थानीय कृषि बाजारों को बढ़ावा देते हुए, तहसील और ब्लॉक स्तरों पर कृषि-मंडियों की स्थापना करेंगे।

08. सिंचाई संवर्धन:
सिंचाई क्षमता बढ़ायेंगे और प्रभावी जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने हेतु सिंचाई समितियों के लिए होने वाले चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे।

09. खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयाँ :
कृषि क्षेत्र में आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयाँ स्थापित करेंगे।

10. किसानों के अधिकार:
विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज हुए तथा लंबित मामलों को वापस लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

11. बीज की गुणवत्ता और पशुधन संवर्धन:
बीज की गुणवत्ता तथा पशुधन की नस्लों में सुधार के साथ ही स्थानीय कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

12. सतत कृषि संवर्धन:

प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी और पर्यावरण-अनुकूल उपायों जैसे जैव-उर्वरक, नैनो-यूरिया और जैव-कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा देंगे|

13. जलवायु स्मार्ट खेती:

जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एंड टेक इम्पावर्ड खेती (CSTEF) की रणनीति लागू करेंगे |

14. सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता:

सिंचाई पंपों, खेत पर स्थित कोल्ड स्टोरेज हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ायेंगे और सौर प्रणालियों के लिए राज्य-वित्त पोषित नीति बनायेंगे |

15. कृषि अवसंरचना विकास:

कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विपणन स्थलों, भंडारण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करेंगे|

16. पारदर्शी मूल्य निर्धारण:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मूल्य निर्धारण तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे|

17. फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा:

फसल कटाई के बाद के कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे |

18. सहकारी बैंक को सुदृढ़ बनाना:

बेहतर तकनीक का समावेश करते हुए सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ायेंगे और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे |

19. शैक्षणिक और संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विपणन को बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, विपणन बोर्डों और विपणन संघों को मजबूत करेंगे|

20. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहयोग:

एफपीओ के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने हेतु संस्थागत तरीके से क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेंगे|

21. पॉलिसी थिंक-टैंक:

कृषि योजनाओं के निरंतर सुधार के लिए एक समावेशी पॉलिसी थिंक-टैंक का निर्माण करेंगे।

22. नवोन्मेषी कृषि मॉडल:

सतत कृषि के लिए नियंत्रित पर्यावरण कृषि उत्पादन (सीईएपी) और प्रोडक्शन 2 प्रमोशन (पी 2पी) मॉडल का विस्तार करेंगे।

23. विविधता और प्रतिरोध:

जैविक खेती, संरक्षित खेती, बागवानी विकास और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रयासों को बढ़ावा देंगे।

24. रेगिस्तानी कृषि:

रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल फसलें विकसित करना और शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षमता की वृद्धि करने के लिए स्थानीय रेगिस्तानी किस्मों का संवर्धन करेंगे।

25. जैव विविधता संरक्षण:

पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करेंगे।

26. जल-कुशल फसलें:

संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कम पानी से होने वाली फसल किस्मों का विकास करेंगे।

27. भूमि अधिकार मान्यता:

भूमि अधिकार सुरक्षित करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बटाईदारों और जोतदारों का पंजीकरण शुरू करेंगे।

28. संसाधनो तक पहुँच:

किसानों की खेती से सम्बंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत बीजों और किफायती पेट्रोल तथा डीजल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

29. महिला किसान:

कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, घरेलू उद्यानों और बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें केंद्र में रखकर योजनायें बनायेंगे।

30. सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण:

कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए, परिसंपत्तियों के प्रबंधन उन्नत करते हुए सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

31. सिंचाई आवश्यकताओं पर सलाह देने के लिए अधिकार प्राप्त समिति:

विभिन्न सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (इम्पावर्ड कमेटी) का निर्माण करेंगे जो अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेगी।

4.2 पशुपालन एवं मत्स्य पालन

पशुपालन के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता अटल है:

01. ऊँटनी के दूध के लिए प्रसंस्करण संयंत्र:
ऊँटनी के दूध की महत्ता को पहचानते हुए उसकी खरीद और प्रसंस्करण के लिए एक डेयरी संयंत्र की स्थापना की पहल करेंगे।

02. ऊंटों के लिए चरागाह भूमि:
ऊंटों के लिए पर्याप्त चरागाह भूमि सुनिश्चित करेंगे, इस विशिष्ट पशुधन की बेहतरी सुनिश्चित करेंगे|

03. पशुधन की देशी नस्लों का संरक्षण:
पशुधन की देशी नस्लों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए, भौगोलिक संकेत (जीआई) मान्यता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ स्वदेशी पशुधन नस्लों की बेहतरी के लिए काम करेंगे।

04. पोषण संबंधी सहायता:
पशुधन की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित पशु चारा, प्रोटीन चारा और स्थानीय पोषक तत्वों को शामिल करते हुए चारे के उत्पादन में वृद्धि करेंगे।

05. पशु कल्याण और सुरक्षा:
पशु बीमा का व्यापक कवरेज, पशुधन प्रतिस्थापन के लिए सहायता, नुकसान के लिए मुआवजा और इस क्षेत्र के लिए बेहतर बैंकिंग नीतियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ायेंगे।

06. बायोसिक्योरिटी लैब:
बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों को प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित और प्रभावी ईलाज सुनिश्चित करने हेतु रोग निदान के लिए एक आधुनिक बायोसिक्योरिटी लैब-3 (बीएसएल-3) स्थापित करेंगे|

07. पशु चिकित्सा संस्थान:

पशु स्वास्थ्य और देखभाल के मानकों में बेहतरी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों वाले पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या का विस्तार करेंगे|

08. पशुधन प्रजनक प्रशिक्षण:

पशुधन प्रजनकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनायेंगे, उन्हें इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए नवीनतम ज्ञान और कौशल प्रदान करेंगे।

09. घुमंतू समुदाय कल्याण:

घुमंतू समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनकी अनूठी जीवनशैली और योगदान को मान्यता देते हुए उनकी बेहतरी के लिए एक "चरवाहा कल्याण बोर्ड" की स्थापना करेंगे|

10. मत्स्य पालन विकास:

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मछली लैंडिंग केंद्रों और बाजारों का निर्माण करेंगे तथा वहां अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। इसके साथ ही एक व्यापक मत्स्य विपणन नीति तैयार करेंगे|

11. मछली बीज उत्पादन लक्ष्य:

राज्य के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले मछली के बीज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने, सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सालाना 400 मिलियन फिंगरलिंग (2000 मिलियन मछली बीज फ्राई) मछली बीज का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

4.3 सहकारिता

सहकारी विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण का स्त्रोत सशक्तिकरण और दक्षता में निहित हैं:

01. महिलाओं का समावेशीकरण:
सहकारी संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर हम संकल्पित हैं और लैंगिक समानता की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।

02. डिजिटल रूपांतरण:
सहकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा जिससे कि ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा सके।

03. ग्रामीण बहु-सेवा केंद्र:
ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहु-सेवा केंद्रों (एमएससी) में रूपांतरित करेंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विविध बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।

04. महिलाओं का सशक्तिकरण:
महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नेटवर्क को मजबूत करते हुए उनका विस्तार करेंगे, सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

05. तकनीकी रूप से उन्नत बैंकिंग:
अत्याधुनिक सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सहकारी बैंकिंग की पहुंच का विस्तार करेंगे और सभी के लिए आधुनिक वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।

06. सहकारी बैंकों में निवेश प्रोत्साहन:
राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा सहकारी बैंकिंग संस्थानों में निवेश को प्रोत्साहन देंगे और जमा आधार का विस्तार करते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

07. तकनीकी उन्नयन:
सहकारी दुकानों को तकनीकी रूप से उन्नत करेंगे, जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंच बढ़े और सहकारी उत्पादों की आम जन तक पहुँच में व्यापक वृद्धि हो।

08. बेहतर आपूर्ति श्रृंखला:
विभिन्न सहकारी समितियों के बीच समन्वय में सुधार करके, कुशल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हुए आपूर्ति और विपणन संबंधों को बढ़ायेंगे।

09. भंडारण विस्तार:

किसानों को उनकी उपज की सुरक्षा हेतु किफायती भंडारण विकल्प प्रदान करने के लिए सहकारी विपणन समितियों और अनाज भंडारण समितियों (जीएसएस) में भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेंगे|

10. नेतृत्व विकास:

प्रभावी शासन सुनिश्चित करने हेतु नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्यों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

11. विविधतापूर्ण सब्सिडी वाले ऋण:

गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए सब्सिडी वाले ऋण के वितरण में वृद्धि करेंगे, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और खुदरा दुकानों जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विविधता और विकास में सहायता प्रदान करेंगे।

12. पेंशन विनियमन:

कर्मचारियों के लिए एक सहकारी पेंशन नियामक प्राधिकरण की स्थापना करेंगे, जो सहकारी विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

4.4 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

हमारे दृष्टिकोण में सर्वसमावेशी ग्रामीण विकास के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

01. ग्राम कार्य योजना:
ग्रामीण विकास की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन रणनीतियों को एकीकृत करते हुए, मास्टर प्लान बनायेंगे।

02. नवोन्मेषी वाटरशेड योजनाएं:
वाटरशेड विकास के लिए मौलिक योजनाओं को बढ़ावा देंगे और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों की शत प्रतिशत अनुपालना के लिए प्रयास करेंगे।

03. प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यक बुनियादी ढाँचा:
प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान, खेल सुविधाएँ, रनिंग ट्रैक,ओपन एयर जिम और पुस्तकालय सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा विकसित करेंगे।

04. सार्वभौमिक इंटरनेट कवरेज:
कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हुए, पूरे पंचायत क्षेत्र में शत प्रतिशत इंटरनेट कवरेज हासिल करने के लक्ष्य पर काम करेंगे।

05. स्थानीय राजस्व सृजन:
हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पंचायत स्थानीय संसाधनों से राजस्व प्राप्त कर सके, स्थानीय प्रशासन को बेहतर करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सौंपेंगे।

06. सामुदायिक जुड़ाव:
सरकारी नीतियों को सफलतापूर्वक तरीके से लागू करने के लिए साथिन, सखी, आशा और स्वयं सहायता समूहों सहित पंचायत-स्तरीय कैडरों और स्थानीय समुदायों को शामिल करेंगे।

07. महिला प्रतिनिधि का सशक्तिकरण:
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को वित्तीय साक्षरता सहित आवश्यक कौशल प्रदान कर उन्हें सशक्त बनायेंगे और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला प्रतिनिधियों की ग्राम पंचायतों की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

08. समितियों का प्रभावी एकीकरण:
सुव्यवस्थित कामकाज के लिए बनी प्रमुख समितियों का ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के साथ विलय करेंगे और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेंगे।

09. स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी:
ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करना हमारा लक्ष्य हैं, वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान (एफएफसी) का कम से कम 10% महिला केंद्रित योजनाओं, कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प पर्यटन के लिए आवंटित करेंगे।

10. संसाधन मानचित्रण और प्रशिक्षण संस्थान:
स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक ग्राम पंचायत संसाधन मानचित्रण रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा पीआरआई पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का निर्माण करेंगे।

11. किफायती आवास पुन: लॉन्च:
पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए और उन्हें किफायती आवास प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च करेंगे|

12. ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान संस्थान:
राष्ट्रीय विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए "पंडित जवाहर लाल नेहरू ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान" की स्थापना करेंगे ।

13. पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय :
समावेशी शासन को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय प्रदान करेंगे।

14. ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास:
ग़ैर कृषि रोज़गार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण युवाओं को विविध कैरियर विकल्प चुनने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे।

15. इनोवेशन को बढ़ावा:
जिला इनोवेशन फंड को बढ़ाकर ₹10 करोड़ करेंगे और ₹1 करोड़ का ब्लॉक इनोवेशन फंड शुरू करेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

16. सरकारी सेवा तक बेहतर पहुंच:
दूरदराज के क्षेत्रों में कमजोर परिवारों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बुनियादी सेवाओं के साथ ही सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेंगे।

17. मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण:
कुशल और समावेशी प्रशासन सुनिश्चित करते हुए, जिन कार्यक्रमों में कर्मचारियों की कमी हैं वहां उनकी संख्या में वृद्धि करेंगे और सभी स्तरों पर योजना बनाने के लिए बॉटम-अप प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे।

18. सभी के लिए आवास:
पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत सभी बचे हुए पात्र परिवारों को आवास प्रदान करके, सम्मानजनक जीवन स्थितियों को सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे।

19. ज्ञान की सुलभ पहुंच के लिए ई-पुस्तकालय:
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ज्ञान की पहुंच व्यापक करेंगे और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्र के तहत ई-पुस्तकालय स्थापित करेंगे।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)/ आईजीयूईजीएस (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना)

20. मनरेगा/ आईजीयूईजीएस सुधार :
मनरेगा/ आईजीयूईजीएस भुगतान के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करेंगे, ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों द्वारा सीधे सामग्री खरीद की सुविधा प्रदान करेंगे और ग्राम पंचायत/शहरी निकाय स्तर पर विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

21. रोजगार के अवसरों में वृद्धि:
कथोरी, सहरिया और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना (सीएमआरईजीएस) के तहत क्रमशःअतिरिक्त 100 दिनों के रोजगार और अन्य के लिए अतिरिक्त 25 दिनों के रोज़गार की व्यवस्था करते हुए इसे क्रमशः300 दिन तथा 150 दिन करेंगे।

22. समय पर वेतन का भुगतान:
काम पूरा होने के 8 दिनों के भीतर शत प्रतिशत वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों को समय पर वेतन मिले।

23. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई:
वृक्षारोपण, चारागाह के विकास और पौधों के लिए पंचायत-स्तरीय नर्सरी स्थापित करने जैसी पहलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रयत्न करेंगे।

24. मनरेगा/आईजीयूईजीएस श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) / आईजीयूईजीएस के तहत श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन और यात्रा भत्ते को संशोधित करके उनके उचित वेतन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

25. ईपीएफ योजना समावेशन:
श्रमिकों की वित्तीय स्थिति में बेहतरी और दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, मनरेगा/ आईजीयूईजीएसश्रमिकों के लिए केंद्र सरकार को उन्हें EPF स्कीम के तहत लाने के लिए आग्रह करेंगे।

26. श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा:
प्रत्येक मनरेगा / आईजीयूईजीएस श्रमिक को एक दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवश्यक कवरेज और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करने की गारंटी दी जाती है।

27. सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली को बेहतर बनाना:
ग्रामीण तथा शहरी रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए, मनरेगा/ आईजीयूईजीएस के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रणालियों की समीक्षा और संशोधन करेंगे।

28. स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण का विस्तार:
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण उपलब्धता को बेहतर करेंगे जिससे कि वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमशीलता पहल को बढ़ावा मिले।

29. महिला-केंद्रित वित्तीय संस्थान:
राजस्थान महिला निधि को सर्वोच्च संस्थान के रूप में स्थापित करते हुए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के माध्यम से महिलाओं को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करेंगे तथा कृषि और पशुधन कार्यक्रमों के माध्यम से 30 लाख परिवारों को लाभान्वित करेंगे|

30. उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन:
उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देते हुए ऐसे 4,200 उत्पादक संगठन स्थापित करना, सहयोगी उद्यमों का बेहतर संचालन करना और कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में हो रहे नवीन प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाना।

31. सीएलएफ की वित्तीय स्थिरता:
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 70% क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे उनकी परिचालन अवधि और लचीलेपन में वृद्धि होगी।

32. सीएलएफ के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचा:
व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए, प्रत्येक सीएलएफ पर कृषि और गैर-कृषि उत्पादों दोनों की खरीद, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा सुविधाएं प्रदान करेंगे।

33. ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र:
प्रत्येक सीएलएफ स्तर पर एक ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, जिन्हें आर्थिक गतिविधि और अवसरों का केंद्र बनाया जा सके।

34. ग्रामीण हाट और सुविधा केंद्र:
स्थानीय वाणिज्य और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ग्रामीण हाट और सुविधा केंद्र शुरू करेंगे।

35. एसएचजी के लिए को-वर्किंग स्पेस:
एसएचजी की आर्थिक गतिविधियों के लिए समर्पित सह-कार्यस्थल विकसित करेंगे जिससे वे आपस में सहयोग कर सके और नवाचार को प्रोत्साहन मिले।

36. सरकारी खरीद के माध्यम से सहायता:
सरकार द्वारा एसएचजी से खरीद की सीमा बढ़ायेंगे, जिससे उनके उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सके।

37. ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर एसएचजी को सशक्त बनाना:

वित्तीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, पंचायत स्तर पर ऑडिट और पारदर्शिता के प्रयासों से एसएचजी की भूमिका को मजबूत करेंगे।

38. एसएचजी महिलाओं के लिए विकास:

एसएचजी महिला सदस्यों के बीच अगली पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ायेंगे। उन्हें नेतृत्व कौशल प्रदान करके उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए राजीविका के तहत एक नेतृत्व पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

युवा शक्ति

5.1 युवा विकास एवं खेल

समावेशी विकास

01. समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता:
राजस्थान की नई राज्य युवा नीति 2023 में सभी 18 विशेष युवा समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे व भेदभाव रहित विकास को बढ़ावा देंगे।

02. युवा नेतृत्व:
सामुदायिक संगठनों, संस्थानों और सरकारी निकायों के भीतर नेतृत्व पदों पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राजनीतिक प्रक्रियाओं और नागरिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देंगे।

03. नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास:
विशेष युवा समूहों सहित स्कूलों और समुदायों में युवा व्यक्तियों के लिए नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे।

04. स्वयंसेवी प्रशिक्षण मंच:
राज्य भर में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी प्रशिक्षण और प्रबंधन का मंच प्रदान करेंगे।

05. सेवा और सीखने के अवसर:
कॉलेजों और स्कूलों में सेवा और सीखने के अवसर स्थापित करने, स्कूल और विश्वविद्यालय के मूल्यांकन से जुड़े स्वयंसेवी कार्यों के घंटों के लिए क्रेडिट की पेशकश करेंगे।

06. अनुभवों का आदान-प्रदान:
युवा उपलब्धि हासिल करने वालों, पीआरआई नेताओं, एनवाईके स्वयंसेवकों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड और महिला एसएचजी के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ायेंगे ।

07. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम:
देश भर में युवाओं के बीच क्रॉस-लर्निंग और साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जारी करेंगे।

खेलों के लिए आधारभूत संरचना एवं उसका विकास

08. खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:
ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करेंगे।

09. नागरिक जुड़ाव:
युवाओं को नागरिक गतिविधियों में शामिल होने और गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए सामाजिक परियोजनाएं शुरू करेंगे।

10. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):
खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को प्रोत्साहन देने हेतु संभागीय स्तर पर "सीओई (उत्कृष्टता केन्द्रों)" की स्थापना करेंगे।

11. क्षमता निर्माण:
प्रशिक्षकों, तकनीकी कर्मचारियों और प्रबंधकों सहित खेल पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सहायता प्रदान करेंगे।

12. डिजिटल साक्षरता क्लब:
प्रत्येक ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर डिजिटल साक्षरता क्लब की स्थापना करेंगे।

13. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन:
राजीव गांधी ओलंपिक खेलों (ग्रामीण और शहरी) जैसे प्रतियोगी आयोजनों सहित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की योजना बनायेंगे।

14. खेल विभाग का डिजिटलीकरण:
बेहतर खेल प्रशासन, योजना कार्यान्वयन, प्रचार, प्रशिक्षण और सोशल मीडिया सहभागिता के लिए सभी स्तरों पर खेल विभाग का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेंगे।

15. गुणवत्तापूर्ण कोच:
जमीनी स्तर से लेकर विशिष्ट स्तर तक युवाओं के साथ काम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की नियुक्तियां करेंगे।

16. नई खेल सुविधाएँ:
जिला मुख्यालयों पर हर मौसम के अनुकूल स्विमिंग पूल और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक सहित नई खेल सुविधाएँ स्थापित करेंगे।

17. स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना:
युवा हितों के अनुरूप तीरंदाज़ी, कबड्डी, हॉकी और खो-खो जैसे स्थानीय स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देंगे।

18. स्थानीय प्रतिभा खोज और समर्थन:
स्थानीय प्रतिभा की पहचान और समर्थन करने के लिए ग्राम-स्तरीय 'खेल मित्र' कैडर के गठन की सुविधा प्रदान करेंगे।

युवा रोजगार एवं कौशल विकास

19. वार्षिक 'ग्रामीण ओलंपिक':
खिलाड़ियों को पर्याप्त खेल अवसर प्राप्त हों यह सुनिश्चित करने के लिए हर साल 'ग्रामीण ओलंपिक' जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

20. खेल छात्रावास और अकादमियों में सुविधाओं का विकास:
जिला और राज्य स्तर पर आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित खेल छात्रावास और खेल अकादमियों का निर्माण करेंगे।

21. विश्व स्तरीय प्रशिक्षण:
उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले असाधारण युवा एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करेंगे।

युवा नेतृत्व और भागीदारी

22. युवा नेतृत्व विकास:
स्कूलों, कॉलेजों में युवा नेतृत्व विकास के प्रति प्रतिबद्धता और ग्राम सभाओं जैसे स्थानीय शासन प्लेटफार्मों में सक्रिय भागीदारी का निर्माण करेंगे।

23. युवाओं के मुद्दों के लिए मंच:
ऐसे प्लेटफार्म जहां युवा उनसे जुड़े मुद्दों को व्यक्त कर सकें, चिन्हित किए जाएँगे और युवाओं को ग्राम सभाओं में प्रतिनिधित्व सहित निर्णय लेने में शामिल किया जाएगा।

24. फीडबैक तंत्र:
गांवों और शहरों में चल रहे विकास कार्यक्रमों पर फीडबैक देने के लिए युवाओं के लिए मंच बनाया जाएगा, और जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

25. आईईसी और जागरूकता कार्यक्रम:
राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं की जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

26. युवा गतिविधियों के लिए बजटन बढ़ाना:
छात्रों के व्यक्तित्व विकास और स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, एनएसएस और खेल संस्कृति जैसी गतिविधियों के लिए आवंटित बजट में वृद्धि करेंगे।

27. विधायी फ़ेलोशिप:
संसदीय फ़ेलोशिप के समान एक विधायी फ़ेलोशिप शुरू करेंगे जिसके माध्यम से युवाओं को विधायकों और मंत्रियों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेंगे।

28. राजीव गांधी युवा मित्र:

सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजीव गांधी युवा कोर के तहत राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में युवाओं का एक कैडर विकसित करेंगे.

29. युवा संसद और परिषद्:

युवा मुद्दों की उपेक्षा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर युवा परिषदों और संसदों का आयोजन करेंगे।

30. वंचित युवाओं के लिए केन्द्रित कार्यक्रम:

वंचित युवाओं के लिए उन पर केन्द्रित जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेंगे।

31. गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम को मजबूत बनाना:

गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम को अधिक मजबूती प्रदान करके उसे बेहतर तरीके से लागू करेंगे।

32. युवा हैंगआउट:

ऐसे स्थानों का निर्माण करवाएंगे जहां युवा मिल सकें, सीख सकें और परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकें ताकि रचनात्मकता और कौशल विकास को बढ़ावा मिले।

33. कैरियर मार्गदर्शन केंद्र:

स्कूलों और कॉलेजों में कैरियर मार्गदर्शन केंद्रों की स्थापना करना ताकि छात्रों को उनकी शिक्षा और भविष्य के कैरियर मार्ग के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिल सके, जिससे ड्रॉपआउट को रोका जा सकें।

34. ड्राप आउट करने वाले संभावित युवाओं पर विशेष ध्यान:

ऐसे छात्रों की पहचान करना जो परिस्थितिवश पढ़ाई छोड़ सकते हो, उन्हें जोड़े रखने की प्रतिबद्धता के चलते यह सुनिश्चित करना कि वे लगातार आगे बढ़ते रहे और उज्जवल भविष्य को प्राप्त करे।

एनईईटी ड्रॉपआउट (वे युवा जिनका शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से कोई जुड़ाव नहीं हैं)

35. एनईईटी (नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग) युवाओं के लिए व्यावहारिक कौशल:
व्यावहारिक कौशल को सुगम बनाना जिससे एनईईटी (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं हैं) युवाओं के लिए नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

36. छोटे शहरों में नौकरी के अवसर:
एनईईटी युवाओं के लिए घर के नजदीक नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे।

37. नेटवर्किंग और कौशल विकास:
एनईईटी युवाओं को संभावित नियोक्ताओं और सलाहकारों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं और नेटवर्किंग सत्र आयोजित करेंगे।

38. खेल, कला और रचनात्मकता को बढ़ावा देना:
एनईईटी (नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग)युवाओं को खेलों में भाग लेने, कलात्मक कार्यों में संलग्न होने, आत्मविश्वास विकसित करने और नए कौशल प्राप्त करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

39. एनईईटी युवाओं के लिए विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम:
एनईईटी युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उन्हें केंद्र में रखकर शिक्षण कार्यक्रम विकसित करेंगे|

40. निजी क्षेत्र के साथ सहयोग:
एनईईटी युवाओं के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम और इंटर्नशिप के अवसरों के सृजन हेतु निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ गठजोड़ करेंगे जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो।

5.2 श्रम एवं रोजगार

सभी के लिए सम्मानपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की हम प्रतिज्ञा लेते हैं:

01. नौकरियों का सृजन:
हमारी प्रतिबद्धता 2047 तक राजस्थान में 2 करोड़ नौकरियां सृजित करने की है, जिससे हमारे युवाओं को आर्थिक विकास और समृद्धि के मौके मिले।

02. गिग श्रमिकों को शामिल करना:
गिग श्रमिकों के महत्व को पहचानते हुए, हम ऑटो और टैक्सी चालकों को समान लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें भी गिग श्रमिकों के दायरे में लायेंगे।

03. ऋण सुविधा विस्तार:
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करते हुए, हम रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यवसायों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सुविधा में वृद्धि करेंगे।

04. स्ट्रीट वेंडर्स सशक्तिकरण:
स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए, हम राजस्व का उपयोग स्ट्रीट वेंडरों के कल्याण के लिए करेंगे।

05. युवा रोजगार कौशल:
युवा रोजगार के लिए स्किल एंड गैप एनालिसिस करके, वर्तमान और भविष्य की कौशल मांगों को समझने के लिए उद्योग विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे।

06. एसिंक्रोनस लर्निंग:
एसिंक्रोनस लर्निंग के तहत सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देंगे, जिससे युवाओं को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी।

07. प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण:
कौशल कार्यक्रमों के लिए प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण की शुरूआत करेंगे और प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित करेंगे।

08. रोजगार पहल:
शिक्षार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करेंगे।

09. प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय:
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को डिजाइन करने और उन्हें सुगमता से उपलब्ध करवाने हेतु नई प्रौद्योगिकियों को अपनाएंगे।

10. वैश्विक एक्सपोजर:
हमारे युवाओं को वैश्विक एक्सपोजर और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करेंगे।

11. ऑनलाइन कौशल पोर्टल:
कौशल विकास संसाधनों के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल बनाना, जिससे सीखने के अवसर सुलभ हो सके।

12. मई दिवस की छुट्टी:
श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देते हुए मई दिवस की छुट्टी घोषित करेंगे।

13. महिला रोजगार कार्यालय:
महिलाओं की रोजगार के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु संभागीय स्तर पर एक समर्पित महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना करेंगे।

14. दिव्यांगों का सशक्तिकरण:
दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित दिव्यांगजन रोजगार कार्यालय की स्थापना करेंगे।

15. मॉडल कैरियर केंद्र:
कैरियर के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित करेंगे।

16. सामाजिक सुरक्षा संहिता:
श्रमिकों के हित में प्रदेश में नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 लागू करने का प्रयास करेंगे।

17. सरलीकृत ऋण प्रक्रियाएं:
उद्यम शुरू करने के लिए ऋण लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनायेंगे और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए सुलभ ऋण योजनाओं पर काम करेंगे।

18. उद्यम शिक्षा:
बाजार की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्यम शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे जिससे कि उनमें इसे लेकर रुचि पैदा हो।

19. रोजगार मेले:
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए नियमित रोजगार मेलों का आयोजन करेंगे।

20. उद्योग संपर्क:
व्यावहारिक अनुभव के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों को निजी या सरकारी उद्योगों से जोड़ेंगें।

21. स्थानीय रोजगार सृजन:
स्थानीय स्तर पर नौकरियों के सृजन के प्रयास करेंगे और लघु उद्योगों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

22. जागरूकता अभियान:
युवाओं को विभिन्न कौशल निर्माण कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेंगे।

23. पेपर लीक रोकथाम:
प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के उपाय और कठोर दंड लागू करेंगे।

24. बोर्डिंग और लॉजिंग सहायता:
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले युवाओं को बुनियादी बोर्डिंग, लॉजिंग सेवाएं और बीमा प्रदान करेंगे।

25. परीक्षा कैलेंडर निर्धारण:
राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित एवं समय पर परीक्षाओं हेतु परीक्षा कैलेंडर निर्धारित करेंगे।

26. राज्य के उम्मीदवार को प्राथमिकता देना:
स्थानीय अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए रीट परीक्षा में राजस्थान के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे।

27. एनएसएस और एनसीसी में युवा:
सरकारी नौकरियों में एनसीसी स्काउट्स के साथ-साथ एनएसएस और अन्य स्काउट्स को प्राथमिकता देंगे।

28. कृषि अध्ययन का आधुनिकीकरण:
कृषि संबंधी अध्ययन का आधुनिकीकरण करते हुए इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनायेंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे ।

29. कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार:
विभिन्न जिलों में अधिक कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना करते हुए आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे ।

30. सीएसआर सहयोग:
स्टार्ट-अप और उद्यमिता के लिए युवाओं का प्रोत्साहन करने के लिए सीएसआर पहल के साथ सहयोग करेंगे।

31. यूथ बोर्ड कैरियर सेल:
राजस्थान यूथ बोर्ड में कैरियर एवं प्लेसमेंट सेल बनाकर युवाओं को नौकरी के अवसरों से जोड़ेगें।

32. डिजिटल कौशल विकास केंद्र:
डिजिटल युग के लिए हमारे युवाओं को कुशल बनाने के लिए राजस्थान डिजिटल कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे।

33. बेरोजगारी सहायता बोर्ड:
कैरियर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक बेरोजगारी सहायता बोर्ड/आयोग का गठन करेंगे।

34. युवा परामर्श केंद्र:
सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक जिले में युवा परामर्श केंद्र खोलते हुए जानकारी के लिए एकल खिड़की प्रणाली के प्रयास पर काम करेंगे।

35. स्टार्टअप सहायता समिति:
राज्य के विकास में योगदान देने वाले युवा स्टार्टअप और व्यवसायों का मार्गदर्शन करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे।

36. आईस्टार्ट प्रमोशन:
आईस्टार्ट मेंटरशिप कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करेंगे, फंडिंग को 5 करोड़ से दोगुना कर 10 करोड़ रुपये करेंगे।

37. स्टार्टअप मोटिवेशन:
युवाओं को स्टार्ट-अप के लिए प्रेरित करना और समर्थन देना, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेंगे।

38. इन्क्यूबेशन केंद्र:
युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और कंसोर्टियम विपणन सहायता के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र विकसित करेंगे।

39. महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र:
कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करेंगे।

40. कृषि उद्यमिता संवर्धन:
कृषि नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देंगे।

41. होमगार्ड कल्याण बोर्ड की स्थापना:
होमगार्डस के कल्याण के लिए "होमगार्ड कल्याण बोर्ड" की स्थापना करेंगे और राजस्थान होमगार्ड नियम/अधिनियम 1962-63 में संशोधन करते हुए 'स्वयंसेवक' शब्द हटाया जाएगा एवं 'स्थायीकरण' करेंगे।

6. महिला

महिला सशक्तिकरण

सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना और उनके आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित करना।

01. सीसीटीवी कैमरों की स्थापना:
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।

02. जांच का समय कम करेंगे:
न्याय में तेजी लाने के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों की औसत जांच का समय कम करेंगे।

03. सार्वजनिक स्थानों का विकास:
पुस्तकालयों, पार्कों, मनोरंजन केंद्रों, स्टेडियमों और युवा केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उनका विकास करेंगे।

04. महिला विरुद्ध हिंसा को नियंत्रित करना:
घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज के मुद्दे, जल्दी और जबरन विवाह सहित महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने के प्रयास करेंगे।

05. आत्मरक्षा प्रशिक्षण:
लड़कियों की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को सरकारी स्कूलों में आवश्यक बनाया जाएगा।

06. उन्नत युवा छात्रावास:
प्रत्येक जिले में युवा छात्रावासों को उन्नत किया जाएगा, जिसमें लड़कियों के छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे और महिला वार्डन की अलग व्यवस्था करेंगे।

07. सुरक्षा के लिए नियमित दौरे:
लड़कियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और निर्भया स्क्वाड द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में नियमित दौरे किए जाना सुनिश्चित करेंगे।

08. महिला अदालतें:
महिलाओं से संबंधित कानूनी मामलों को निपटाने के लिए महिला पुलिस स्टेशनों की तर्ज पर महिला अदालतों का गठन करेंगे।

09. त्वरित पुलिस शिकायत पंजीकरण:
त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए महिलाओं द्वारा पुलिस शिकायतों का त्वरित पंजीकरण करेंगे।

10. CASH समिति को सक्रिय करना:
सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों में यौन उत्पीड़न विरोधी समिति CASH (Committee Against Sexual Harassment) को सक्रिय करेंगे , समिति की बैठकों की नियमित निगरानी करेंगे।

महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना

11. कुपोषण से जुड़ी आवश्यकताएं:
कुपोषण को उसके सभी रूपों में परिभाषित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

12. पोषण संबंधी आवश्यकताएँ:
महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

13. मजबूत पीसीपीएनडीटी अधिनियम:
गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करेंगे , जिसमें क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान और अधिनियम के तहत रिपोर्ट किए गए मामलों के लिए प्रभावी अभियोजन शामिल करेंगे।

14. सुरक्षित जल और स्वच्छता:
सेवा वितरण संस्थानों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, निजी संगठनों, महिला जेलों और महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रय घरों सहित विभिन्न जगहों पर सुरक्षित और स्वच्छ पानी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करेंगे।

15. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य:
सभी तरह की प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करके, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और नवजात शिशुओं के लिए पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और उसके पोषण स्तर को बेहतर बनायेंगे।

16. मासिक धर्म चक्र में अवकाश:
महिलाओं को उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान काम के समय में विशेष अवकाश का प्रस्ताव लागू करेंगे।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लैंगिक अंतर को कम करना

17. संसाधनों तक समान पहुंच:
सभी क्षेत्रों में बुनियादी संसाधनों तक पहुंच में लैंगिक समानता सुनिश्चित करेंगे।

18. ऋण सेवाओं का विस्तार:
महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वरीयता देते हुए आसान शर्तों पर शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए ऋण सेवाओं का विस्तार करेंगे।

19. सरकारी/सामुदायिक केंद्रों का उपयोग:
एसएचजी गतिविधियों के लिए खाली सरकारी/सामुदायिक केंद्रों का उपयोग करने का प्रावधान करेंगे।

20. सार्वजनिक रसोई में एसएचजी की भागीदारी:
इंदिरा रसोई जैसी सार्वजनिक रसोई के कुशल कामकाज में महिला एसएचजी को शामिल करेंगे।

21. महिला छात्रावास:
महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक जिले में सुविधायुक्त महिला छात्रावास स्थापित करेंगे।

22. सभी लिंगों के लिए भिन्न आंकड़ो का जुटान:
लैंगिक समानता की प्रगति पर निगरानी के लिए अलग-अलग लैंगिक आंकड़े तैयार करेंगे।

23. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा:
महिलाओं और लड़कियों को 21वीं सदी के कौशल से लैस करने हेतु तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए नए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पेश करेंगे तथा उनकी सुगम पहुँच सुनिश्चित करेंगे।

24. समान रोजगार के अवसर:
महिलाओं के लिए पूर्णकालिक और सम्माननीय रोज़गार के अवसर सृजन करेंगे और वेतन में बराबरी सुनिश्चित करेंगे।

25. सुलभ उच्च शिक्षा:
उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे।

26. कौशल शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना:
कौशल शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करते हुए इससे संबंधित भ्रांतियों को दूर करेंगे।

27. सरकारी कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा:
उच्च शिक्षा प्राप्त न करने वाली लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करेंगे।

28. दलित महिला पंचायत नेताओं के लिए विशेष सहायता:
दलित महिला पंचायत नेताओं के लिए एक विशेष सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे।

29. असंगठित क्षेत्र में महिलाओं पर फोकस:
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को उनकी सुरक्षा और विकास के लिए अलग जेंडर बजटिंग के साथ एक विशेष फोकस समूह बनायेंगे।

30. कृषि में महिलाओं को प्रोत्साहित करना:
कृषि योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए जैविक खेती जैसी परम्पराओं के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

31. विधवाओं/एकल माताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण:
विधवा/एकल माताओं को अपनी संतानों की उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे।

7. शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन करने के हमारे उद्देश्य हेतु हमारी प्रतिज्ञा हैं:

01. नई राज्य शिक्षा नीति:
वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई राज्य शिक्षा नीति पेश करेंगे।

02. शिक्षक पदों की मंजूरी:
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों के अनुसार स्कूलों में सभी स्वीकृत शिक्षक पदों को भरते हुए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करेंगे।

03. पारदर्शी स्थानांतरण नीति:
शिक्षक स्थानान्तरण के मुद्दे पर दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली एक नई पारदर्शी स्थानांतरण नीति पेश करेंगे।

04. मॉडल स्कूलों की संख्या दुगनी:
राज्य में स्थापित मॉडल स्कूलों की संख्या को दोगुना करेंगे और सीखने के लिए बेहतर माहौल का निर्माण करेंगे।

05. शिक्षा बजट में वृद्धि:
व्यापक विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के लिए आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।

06. स्कूल प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी:
स्कूल प्रशासन में संस्थागत सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे, जिसमें स्कूल बंद करने और नए स्कूल स्थापित करने से संबंधित निर्णयों में परामर्श शामिल होगा।

07. मध्याह्न भोजन योजना में सुधार :
इस योजना में अधिक पौष्टिक भोजन के विकल्प शामिल करके और योजना को लागू करने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके मध्याह्न भोजन योजना में सुधार करेंगे।

08. बाल गोपाल योजना को सुदृढ़ बनाना:
स्कूलों में तीन-तीन दिन वैकल्पिक रूप से सूखा और गर्म नाश्ता उपलब्ध कराकर बाल गोपाल योजना को सुदृढ़ करेंगे।

09. समानता के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली:
शिक्षा में समानता के लिए एक सामान्य स्कूल प्रणाली की ओर कदम बढ़ायेंगे, दूरदराज के क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे में असमानता को कम करेंगे।

10. हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा:
समावेशन सुनिश्चित करते हुए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा देने के लिए कदम उठाएंगे।

11. शिक्षक प्रशिक्षण संवर्द्धन:
निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देते हुए, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करके उन्हें बेहतर बनायेंगे।

12. घुमंतू जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय:
घुमंतू जनजातियों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय स्थापित करेंगे, और इन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

13. सरकारी स्कूलों का डिजिटलीकरण:
सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल डिजिटल हो जाएं और कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदल दिया जाए।

14. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान:
राज्य में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

15. विश्वविद्यालय पेंशन संकट:
विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चले आ रहे पेंशन संकट का उचित समाधान करेंगे और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

16. विश्वविद्यालयों में संविधान प्रशिक्षण:
राज्य भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय संविधान पर एक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे।

17. विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम:
सरकारी विभागों में राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक "इंटर्नशिप कार्यक्रम" शुरू करेंगे, जो उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके उनकी शिक्षा में महती भूमिका निभाएगा।

18. राजीव गांधी छात्रवृत्ति विस्तार:
योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देते हुए अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाएंगे।

19. रोजगार-उन्मुख कौशल के लिए पाठ्यक्रम में सुधार:
रोजगार-उन्मुख कौशल को शामिल करने और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे।

20. इंटरैक्टिव पाठ्य पुस्तके और संदर्भ पुस्तकें:
शैक्षिक अनुभव में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इंटरैक्टिव पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें तैयार करेंगे।

21. राज्य पुस्तकालय डिजिटलीकरण:
सभी मौजूदा राज्य पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर भवन में नए पुस्तकालय
स्थापित करेंगे।

22. छात्र ऋण योजनाएं:
शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड जैसे आसानी से उपलब्ध होने वाले छात्र ऋण प्रदान करने की योजनाएं शुरू करेंगे।

23. प्रतियोगी परीक्षा केंद्र:
शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धी परीक्षा/दक्षता केंद्र स्थापित करेंगे।

24. शिक्षा संस्थानों का विस्तार:
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 40 प्रतिशत तक हासिल करने के लिए संस्थानों का स्थापना और विस्तार करेंगे।

25. मेडिकल और डेंटल कॉलेजों का विकास:
सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स मानकों पर अपग्रेड करेंगे, हर डिवीजन में सरकारी डेंटल कॉलेजों की स्थापना करेंगे और फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का विस्तार करेंगे|

26. लचीले व्यावसायिक पाठ्यक्रम:
कॉलेज शिक्षा में लचीले व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए वैविध्यपूर्ण करियर विकल्प का मार्ग प्रशस्त हो।

27. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम:
समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम विकसित करेंगे|

28. नैतिक मूल्यों का एकीकरण:
शिक्षा में नैतिक मूल्यों को शामिल करते हुए समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

स्वास्थ्य

8.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता हैं और इसके लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रूपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे।

01. अनुकरणीय स्वास्थ्य सेवाएँ:

स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुरूप निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल को कवर करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेंगे। अत्याधुनिक अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित प्रक्रियाओं के आधार पर उपचार दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अपडेट करेंगे।

02. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का संवर्धन:

एक ही छत के नीचे सीएचसी स्तर पर व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हुए, सीएचसी और पीएचसी का विस्तार और आधुनिकीकरण करेंगे। विस्तार संबंधी निर्णय बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और भौगोलिक स्थिति पर विचार करते हुए लिए जायेंगे।

03. क्षेत्र विशेष हेतु स्वास्थ्य देखभाल रणनीति:

सुदूर, पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए रणनीतियाँ विकसित करेंगे। समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस-सक्षम एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे।

04. स्वास्थ्य मानव संसाधन नीति:

मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की पारदर्शी भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति को प्राथमिकता देंगे। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कुशल पेशेवरों तक समान पहुंच को बढ़ावा देंगे।

05. क्षमता निर्माण:

स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए निरंतर शिक्षा और क्षमता निर्माण में निवेश करेंगे, नेतृत्व और तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे।

06. टेली-मेडिसिन सेवा:

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को सुलभ करने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली मोबाइल ऐप-आधारित टेलीमेडिसिन सेवा शुरू करेंगे।

07. अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर:

त्वरित और कुशल आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेंगे।

08. आरजीएचएस कार्ड संवर्द्धन:

चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती लागत को समायोजित करने के लिए आरजीएचएस कार्डधारकों हेतु आउटडोर व्यय सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर रू. 40,000 करेंगे।

09. सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाना:

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, जन आरोग्य समिति, महिला आरोग्य समिति, और राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी जैसे संगठनों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करेंगे।

10. ई-उपकरण और ई-औषधि प्रणालियों का संवर्धन:

दवाओं, उपकरणों, रसद और टीकों के लिए एक विश्वसनीय और कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए ई-उपकरण और ई-औषधि प्रणालियों को बढ़ावा देंगे।

11. स्वास्थ्य केंद्रों का प्रमाणीकरण:

उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को एनएबीएच, एनक्यूएएस, मुस्कान, लक्ष्य, कायाकल्प प्रमाणन के साथ प्रमाणित करेंगे। प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से प्रमाणित करवाया जाएगा।

12. स्वास्थ्य देखभाल में लिंग समानता:

लिंग समानता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सतत प्रयास जारी रखेंगे, जन्म के समय संतुलित लिंग अनुपात प्राप्त करने, बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

13. निगरानी प्रणाली का सुदृढीकरण:

संक्रामक रोग के प्रकोप की जल्दी पहचान करने, उसके असर का अंदाज़ा सही लगाने, उसे रोकने और तेजी से ईलाज उपलब्ध करवाने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करेंगे।

14. गैर-संक्रामक रोग प्रबंधन:

गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टेली-परामर्श और टेलीमेडिसिन का उपयोग करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच में सुधार हो सके।

15. समुदाय-आधारित सीपीएचसी सेवाएँ:

सीपीएचसी सेवाओं को रिहाएशी इलाकों तक विस्तारित करते हुए उनकी सुलभ पहुँच और सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक लाने के लिए प्रयास करेंगे।

16. जनता क्लिनिक की स्थापना:

प्रत्येक शहरी वार्ड में जनता क्लिनिक स्थापित करेंगे, और राज्य और जिला स्तर पर एयर एम्बुलेंस सहित श्रेष्ठ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली लागू करेंगे।

17. अंग दान में अग्रणी:

अंग दान में अग्रणी बनने हेतु सभी मेडिकल कॉलेजों और अंग प्रत्यारोपण केंद्रों में अंग पुनर्प्राप्ति सुविधाओं को मजबूत करेंगे और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाएंगे।

18. चिकित्सा पर्यटन संवर्धन:

कार्डियक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, जॉइंट रिप्लेसमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी सहित विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सेवाओं की पेशकश करके चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

19. स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आयुष सहयोग:

प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थानों पर स्वास्थ्य और कायाकल्प केंद्र स्थापित करने हेतु पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के साथ सहयोग करेंगे।

20. युवा-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएँ:

युवाओं के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूत करेंगे और युवाओं के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

21. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:

शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे।

22. युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता:

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करेंगे।

23. तम्बाकू नियंत्रण उपाय:

उचित कानून के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण को मजबूत करेंगे, और पुनर्वास और पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए नशा मुक्ति केंद्रों और समुदाय-स्तरीय तंत्रों के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों को सहायता प्रदान करेंगे।

24. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:

जन्म के पहले से लेकर अंतिम दिन तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे, 4,000 की आबादी वाली पंचायतों में एक डॉक्टर वाले पीएचसी की स्थापना करेंगे|

25. सिलिकोसिस रोकथाम:

नए सिलिकोसिस मामलों को कम करने और सिलिकोसिस-प्रवण इकाइयों में स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एआई-आधारित उपकरणों सहित प्रभावी उपायों का नियोजन करेंगे।

26. जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम:

सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में नए कार्यक्रम शुरू करेंगे।

8.2 खाद्य सुरक्षा

समावेशी शासन के प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हम अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं:

01. अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को मजबूत करना:
हमारे नागरिकों के कल्याण को सुरक्षित करते हुए, राज्य में अधिकार-आधारित कानून के माध्यम से अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को क़ानून का रूप देंगे।

02. राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना:
ऐसे लोग जो एनएफएसए के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, को राज्य सरकार द्वारा विशेष स्कीम बना कर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाया जाएगा।

03. साल भर पंजीकरण:
पूरे वर्ष निरंतर पंजीकरण की गारंटी, जिससे व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल सके।

04. केंद्र सरकार के कोटे में वृद्धि:
राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के कोटे में अंतर को पाटा जाएगा।

05. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड कार्यान्वयन:
वंचितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

06. सिस्टम लीकेज से निपटना:
सिस्टम लीकेज से निपटने के लिए प्रभावी उपाय लागू करेंगे, एक पारदर्शी और जवाबदेह वितरण प्रणाली को बढ़ावा देंगे।

07. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके:
उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों के लिए शीघ्र बकाया की गारंटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों की शुरुआत करेंगे। कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए, अनुकूलित वितरण मार्गों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग लागू करेंगे।

आधारभूत संरचना

9.1 पेय जल की उपलब्धता

जल संधारणीयता और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते हमारा संकल्प हैं:

01. समग्र स्वच्छ जल कानून:
स्वच्छ जल के लिए एक समग्र कानून बनाएंगे, जिससे हर घर में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

02. दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा:
दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भूजल से सतह आधारित जल आपूर्ति की ओर बदलाव। इस परिवर्तन के लिए इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करेंगे।

03. जल संरक्षण पर फोकस:
परिवहन हानि और गैर-राजस्व जल (NRW) को कम करने के लिए SCADA और रिसाव का पता लगाने जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए जल संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देंगे।

04. सुलभ जल वितरण कियोस्क:
बिना पाइप वाले तथा बिना जल कनेक्शन वाले क्षेत्रों में जल वितरण कियोस्क स्थापित करेंगे, जिससे सभी के लिए जल सुलभ रूप से उपलब्ध हों।

05. समावेशी जल कनेक्शन पहल:
शहरी गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के लिए सब्सिडी वाले या मुफ्त पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाएँगे और बाकी के लिए नाममात्र का शुल्क लेकर इसे उपलब्ध करवाएंगे।

06. मीटरयुक्त कनेक्शन का कार्यान्वयन:
कुशल जल प्रबंधन के लिए पांच साल के भीतर जल मीटर लागू करना और बिना मीटर वाले से मीटर वाले कनेक्शन में परिवर्तन करेंगे।

07. समान जल वितरण:
क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण तालमेल के माध्यम से जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए समान जल वितरण को बढ़ावा देंगे।

08. बुनियादी ढांचे के उन्नयन की निगरानी:
बुनियादी ढांचे का उन्नयन, जल स्तर की निगरानी आवृत्ति में वृद्धि, और सटीक भूजल मूल्यांकन डेटा सुनिश्चित करेंगे।

09. भूजल पुनर्भरण अध्ययन:
भूजल पुनर्भरण क्षमता का मूल्यांकन करने और वर्षा जल संचयन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए जीआईएस-आधारित जलभृत अध्ययन आयोजित करेंगे।

10. एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस):
कुशल प्रबंधन के लिए पेयजल क्षेत्र में परिचालन डेटा एकत्र करने के लिए एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) लागू करेंगे।

11. रियल टाइम डेटा अधिग्रहण:
निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए वास्तविक समय में डेटा अधिग्रहण और वर्षा सूचना प्रणाली को बढ़ायेंगे।

12. अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से पुन: उपयोग: कृषि और उद्योग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, संधारणीय जल परम्पराओं को बढ़ावा देंगे।

13. संसाधन पुनर्प्राप्ति और प्रदूषण नियंत्रण: अपशिष्ट जल उपचार और संसाधन निष्कर्षण के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति और प्रदूषण नियंत्रण केंद्र स्थापित करेंगे।

14. संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी निवेश: पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से मूल्यवान संसाधनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों में निवेश करेंगे।

15. जल हानि को कम करना: आपूर्ति प्रणाली में पानी की हानि को कम करने के लिए जल वितरण दक्षता के लिए उपाय करने हेतु एक विशेष सेल की स्थापना करेंगे।

16. भविष्य की उपयोगिताएँ (यूओएफ) खेती: आंतरिक क्षमताओं का विकास करते हुए और जल उपयोगिताओं को "भविष्य की उपयोगिताएँ (यूओएफ)" में विकसित करने के लिए निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

17. ज्ञान का सृजन और प्रसार: उपयोगिता और जल संसाधन विभागों के लिए सहयोग और सीखने के अवसरों को बढ़ावा देकर ज्ञान का सृजन करेंगे और उसका प्रचार करेंगे।

9.2 ऊर्जा

हमारी प्रतिबद्धता 2030 तक राजस्थान में बिजली क्षेत्र को परिवर्तनकारी बदलाव करना हैं, हम इसे आर्थिक रूप से सक्षम, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत बनायेंगे।

01. बिजली क्षेत्र को 2030 तक आर्थिक रूप से सक्षम बनाना:
हमारी प्रतिबद्धता हैं कि 2030 तक बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं।

02. डिस्कॉम घाटे को कम करें:
हमारा लक्ष्य हैं कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के घाटे को 10% तक कम कर सके।

03. तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करें:
बिजली वितरण प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने के उपायों को लागू करेंगे।

04. एकीकृत संसाधन योजना (आईआरपी):
परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए डिस्कॉम स्तर पर एकीकृत संसाधन योजना को संस्थागत करेंगे।

05. कुशल सब्सिडी प्रबंधन:
सब्सिडी मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और उपभोक्ता सेवाओं की दक्षता में सुधार करेंगे।

06. डिजिटल उपभोग प्रबंधन:
उपभोक्ताओं की बिजली खपत को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाते हुए जागरूकता और दक्षता को बढ़ावा देंगे।

07. गरीबों को सीधा लाभ:
स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाना और सब्सिडी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

08. सौर सिंचाई पंप:
कृषि में दिन के समय सिंचाई के लिए सौर सिंचाई पंपों को प्रोत्साहन देंगे।

09. छत पर सौर प्रणाली:
आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों के लिए छत पर सौर प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देंगे।

10. कृषि में सौर ऊर्जा:
2030 तक कृषि ऊर्जा की आधी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने की रणनीति बनाकर काम करेंगे।

11. इष्टतम जल उपयोग:
इष्टतम जल उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले भूमिगत जल दोहन को हतोत्साहित करेंगे।

12. सोलर रूफटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर:
कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सोलर रूफटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन को बढ़ावा देंगे।

13. सामुदायिक सुविधाओं का विद्युतीकरण:
2030 तक सौर प्रणालियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों, स्कूलों, चिकित्सा केंद्रों, धार्मिक स्थानों और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित सामुदायिक सुविधाओं का विद्युतीकरण करेंगे।

14. ऊर्जा भंडारण संवर्धन:
पंपयुक्त पनबिजली, बैटरी और मोल्टन साल्ट के साथ केंद्रित सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों पर विचार करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की रुकावट को दूर करते हुए ऊर्जा भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देंगे।

15. प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान:
बिजली उपयोगकर्ताओं के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित और डिजिटल इंटरफ़ेस समाधानों को बढ़ावा देंगे।

16. नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात:
अन्य राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात रणनीति विकसित करेंगे।

17. ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार:
ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार करेंगे और हरित ऊर्जा गलियारों सहित मौजूदा अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लिंक को मजबूत करेंगे।

18. हरित हाइड्रोजन उत्पादन:
हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का विस्तार करते हुए पेट्रोकेमिकल और उर्वरक जैसे उद्योगों के लिए लाभप्रद स्थितियों का निर्माण करेंगे।

19. ऊर्जा दक्षता कार्य योजना:
ऊर्जा संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना की संकल्पना करेंगे।

20. नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण:
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और घटकों का निर्माण करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देंगे।

21. कम विकसित क्षेत्रों के लिए निवेश प्राथमिकता:
क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने के लिए क्षेत्र में शुरुआती निवेश के लिए कम विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे।

9.3 सड़क एवं परिवहन

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार सड़क नेटवर्क विकसित करना

01. कॉरिडोर विकास हेतु रणनीति:
वर्तमान सरकार आर्थिक केंद्रों और जिलों को जोड़ने हेतु कॉरिडोर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमे डीएमआईसी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कुशल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।

02. ग्रामीण सड़क संवर्धन:
ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हम ग्रामीण सड़कों को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास का उद्देश्य राज्य भर में कृषि उत्पाद विपणन को सुविधाजनक बनाना और कृषक समुदायों का उत्थान करना है।

03. प्रमुख क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी:
कृषि आधारित उद्योग और खनन क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क जरूरी हैं। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हैं।

04. GWMS की मदद से रखरखाव में पारदर्शिता:
पारदर्शी सड़क रखरखाव और सर्वोत्तम बजट उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, हम एक जीआईएस-आधारित कार्य निगरानी प्रणाली (जीडब्ल्यूएमएस) लागू करने का वचन देते हैं, जो बुनियादी ढांचे के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।

05. सड़क सुरक्षा पहल:
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, हमारी पार्टी सड़क डिजाइन में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए आईआरएडी परियोजना जैसी पहल के माध्यम से वास्तविक समय पर दुर्घटना ट्रैकिंग लागू की जाएगी।

06. सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र:
राज्य भर में हितधारकों के प्रयासों के समन्वय और सुरक्षा मानकों को बेहतर करने हेतु एक समर्पित सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे।

सार्वजनिक परिवहन का ट्रांसफॉर्मेशन

07. संस्थागत ढांचे की स्थापना:

हमारी प्रतिबद्धता में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए शानदार आधारभूत ढाँचा स्थापित करना शामिल है।इस पहल हेतु विशेषज्ञों और हितधारकों को व्यापक योजना और विकास के लिए शामिल करेंगे।

08. बसों के फेरों में वृद्धि और किफायती दर पर सेवाएँ:

हम प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली किफायती सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने और बसों के फेरे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। सभी नागरिकों तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

09. परिवहन टर्मिनलों का आधुनिकीकरण:

सभी जिलों में परिवहन टर्मिनलों का नवीनीकरण और उनमें सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, शहरों के बीच परिचालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाये जायेंगे।

10. दक्षता के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी:

जीआईएस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, सार्वजनिक परिवहन के लिए मार्ग की जानकारी को डिजिटल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सेवाओं को अधिक कुशलता से उपभोक्ताओं तक पहुँचाना और उपयोगकर्ता की सुविधा को बढ़ाना है।

11. व्यापक सार्वजनिक परिवहन डेटाबेस:

एक अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन डेटाबेस स्थापित करेंगे , जो प्रभावी योजना और निरंतर उपयोगकर्ता-केंद्रित सुधारों की सुविधा के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करेगा।

12. सतत परिवहन को बढ़ावा देना:

शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर बल दिया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए जरूरी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा।

13. मल्टी-मॉडल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग:

पूरे राज्य में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मल्टी-मॉडल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग प्रणाली शुरू करेंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

14. भूमि अधिग्रहण और निविदा दक्षता:

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही टेंडरिंग हो। इस रणनीति के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा।

15. परिणाम-आधारित अनुबंध:

निजी साझेदारों के लिए परिणाम-आधारित, प्रदर्शन-उन्मुख अनुबंधों को अपनाना हमारे दृष्टिकोण की आधारशिला होगी। यह बुनियादी ढांचे के प्रभावी रखरखाव और सेवा वितरण को सुनिश्चित करेगा।

16. सामाजिक क्षेत्रों में उच्च-जवाबदेही ढाँचे:

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में उच्च-जवाबदेही अनुबंध ढांचे के विकल्पों पर काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। यह दृष्टिकोण सेवा मुहैया करवाने में सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

17. सस्ती और सुलभ सेवाएँ:

सेवा शुल्कों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए, हम यह सुनिश्चित करने का वचन देते है कि लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए सेवाएं सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ रहें।

9.4 खनन एवं खनिज

01. प्रमुख खनिजों पर रणनीतिक फोकस:

- पोटाश और टंगस्टन जैसे दुर्लभ खनिजों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और और उनके खनन को प्राथमिकता देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे।
- इन पहचाने गए प्रमुख खनिजों के निष्कर्षण हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करेंगे।

02. भू-स्थानिक डिजिटलीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी:

- डेटा सटीकता और इसकी पहुंच बेहतर करने हेतु खनन क्षेत्रों के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक डिजिटलीकरण पहल करेंगे।
- खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक करने और उसका आकलन करने के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकियों में निवेश करेंगे।
- कुशल और टिकाऊ पुनर्वास के लिए, खनन स्थलों के सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक समर्पित इकाई स्थापित करेंगे।

03. कार्यबल कौशल में निवेश:

- खनन से संबंधित व्यवसायों पर केंद्रित कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित करेंगे।
- खनन कार्यबल कौशल के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग स्थापित करेंगे।
- इच्छुक खनिकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए खनन कंपनियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करेंगे।

04. नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास:

- नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए एक समर्पित कोष बनाएंगे।
- खनिज निष्कर्षण तकनीकों में प्रगति लाने के लिए अनुसंधान संस्थानों, खनन कंपनियों और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- उद्योग प्रक्रियाओं के लिए नवीन समाधानों के हस्तांतरण की सुविधा हेतु खनन क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेंगे।

05. सतत निर्माण के लिए एम-सैंड को बढ़ावा देना:

- नदी की रेत के विकल्प के रूप में एम-सैंड के लाभों के बारे में बिल्डरों, ठेकेदारों और जनता को शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता अभियान विकसित करेंगे।
- एम-सैंड के उपयोग को प्राथमिकता देने वाली निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या कर छूट प्रदान करेंगे।
- एम-सैंड उत्पादन के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, इसकी व्यापक स्वीकृति और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्माण उद्योग के साथ सहयोग करेंगे।

9.5 उद्योग एवं व्यापार

01. रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना:

- राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए मौजूदा क्षमताओं और भविष्य की संभावनाओं वाले विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें नामित करेंगे।
- औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (रीको) को सशक्त बनायेंगे।
- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इन निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले व्यवसायों के लिए विशेष छूट और लचीली भुगतान शर्तें उपलब्ध करवाएँगे।

02. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) सहभागिता:

- राजस्थान में स्थानीय मूल्य निर्माण बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इस ढांचे का लाभ उठाने के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) पहल के साथ सहयोग करेंगे।
- व्यापक कॉरिडोर विकास योजना में क्षेत्रीय शक्तियों और संसाधनों को एकीकृत करने के लिए डीएमआईसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

03. हाई-स्पीड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक और निवेश क्षेत्र:

- औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों के निर्माण के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच हाई-स्पीड फ्रेट कॉरिडोर के साथ प्रमुख स्थानों की पहचान करेंगे।
- कॉरिडोर के लॉजिस्टिक लाभों का लाभ उठाते हुए, इन क्षेत्रों में व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करेंगे।

04. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र:

- खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र को ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में स्थापित किया जाएगा। आर्थिक विकास, नवाचार और सतत विकास पर जोर देते हुए इस क्षेत्र को एक मॉडल शहर के रूप में डिजाइन करेंगे।
- इस निवेश क्षेत्र की योजना और विकास में स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करेंगे।

05. सेक्टर-विशेष विशिष्ट औद्योगिक पार्क और क्षेत्र:

- बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड), जोधपुर में फर्नीचर पार्क और मेडिकल डिवाइसेज पार्क जैसे सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे।
- अपने संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए इन पार्कों में बुनियादी ढांचे और नियामक ढांचे को तैयार करेंगे।

06. ग्रीन हाइड्रोजन वैली एसईजेड:

- राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में उर्वरक संयंत्रों और रिफाइनरियों से हरित हाइड्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करेंगे।
- एसईजेड के भीतर हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

07. जयपुर में फिनटेक पार्क:

- उभरते फिनटेक क्षेत्र के लिए समर्पित केंद्र के रूप में जयपुर में एक फिनटेक पार्क विकसित करेंगे।
- फिनटेक कंपनियों में निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करेंगे।

लॉजिस्टिक आधारित उद्योग

08. स्मार्ट औद्योगिक पार्कों का विकास:

- 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेंगे और उन्हें उन्नत स्मार्ट पार्क में बदलेंगे।
- संचालन के तीव्र और कुशल सेटअप के लिए इन पार्कों को दस सेक्टर-विशिष्ट प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से लैस करेंगे।

09. एकीकृत उद्योग लोजिस्टिक कार्य योजना:

- उद्योगों और राज्य के लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के बीच निर्बाध संबंध स्थापित करने के लिए एक एकीकृत उद्योग लॉजिस्टिक्स कार्य योजना विकसित करेंगे।
- परिवहन और वितरण नेटवर्क को अनुकूलित करने के लिए उद्योगों और लॉजिस्टिक्स हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

10. लीवेरज लॉजिस्टिक्स हब स्टेटस :

- निवेश को आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स से संबंधित उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राजस्थान की लॉजिस्टिक्स हब दर्जे का उपयोग करेंगे।

पेट्रोलियम

11. पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र:

- पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में नवीन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र की स्थापना करेंगे।
- निवेशकों के लिए क्षेत्र का आकर्षण बढ़ाने के लिए पचपदरा में नई संयुक्त उद्यम रिफाइनरी स्थापित करेंगे, जो 2025 तक शुरू हो जाएगी।

12. हरित हाइड्रोजन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा:

- नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा में राजस्थान की क्षमताओं का उपयोग करेंगे।
- हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहल करेंगे।

अगली पीढ़ी के उद्योग

13. नवोदित क्षेत्रों में निवेश:

- हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे, उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी, सहित विभिन्न नवोदित क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधन आवंटित करेंगे।

14. शिक्षा जगत के साथ साझेदारी:

- बिट्स पिलानी, एम्स, आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों और नए घोषित उत्कृष्टता संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी करेंगे।
- अगली पीढ़ी के उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल कार्यबल बनाने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देंगे।

15. वैश्विक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी:

- अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ वैश्विक अनुसंधान और विकास साझेदारी स्थापित करेंगे।
- राजस्थान में अगली पीढ़ी के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे।

नियमों को तर्कसंगत बनाना

16. अधिकतम पंजीकरण, न्यूनतम विनियमन:

आर्थिक जीवंतता की हमारी खोज में, हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर अनुपालन बोझ को कम करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अनुपालन सुविधा केंद्र और साझा सुविधाएं स्थापित करेंगे, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे, जिससे हमारे छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन लागत कम हो सकेगी।

17. वन-स्टॉप शॉप सिस्टम:

नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना सर्वोपरि लक्ष्य है। हम वन-स्टॉप शॉप सिस्टम लागू करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशकों के लिए संपर्क का एक एकल बिंदु प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़े ।

नवीन प्रौद्योगिकियों और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना

18. उद्योग विकास में तेजी लाना:

हम अपने राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हुए अपने उद्योगों की विकास दर को महत्वाकांक्षी लक्ष्य 8 प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे ।

19. इलेक्ट्रिक वाहन और अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन:

हम इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश आकर्षित करेंगे, संबंधित अनुसंधान और विकास सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करेंगे, अपने राज्य को टिकाऊ गतिशीलता के भविष्य के साथ जोड़ेंगे।

20. उद्योग 4.0 और एआई उन्नति:

उद्योग 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को अपनाते हुए, हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3डी प्रिंटिंग, ऑटोनॉमस रोबोट, एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसी पहलों के माध्यम से ऑटो विनिर्माण क्षेत्र को विकास के एक नए चरण में आगे बढ़ाएंगे।

21. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर:

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और ईएसडीएम पार्क स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विश्व स्तर पर परस्पर जुड़े हुए अभिनव और प्रतिस्पर्धी व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान को अग्रणी बनाना

22. पसंदीदा निवेश गंतव्य:

हम राजस्थान को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य और व्यापार करने में सुगमता के मामले में नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प लेते हैं।

23. शीघ्र विवाद समाधान:

त्वरित विवाद समाधान तंत्र को लागू करते हुए, हमारी एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति पहल विवाद समाधान में तेजी और निष्पक्षता लाएगी।

24. औद्योगिक भूखंडों की संभावनाओं को अनलॉक करना:

पारदर्शी नीतियां खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों की संभावनाओं को अनलॉक करेंगी, जिससे संभावित खरीददारों को उनके पुन: आवंटन की सुविधा मिलेगी।

25. औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो:

एक समर्पित औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेगा, श्रमिकों की भलाई और औद्योगिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

26. इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन फंड:

हम मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक समर्पित फंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित हो सके।

27. रक्षा उत्पादन क्षेत्र:

रक्षा उत्पादन के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाया जाएगा, जो निवेश को आकर्षित करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

28. भूमि उपयोग के परिवर्तन में आसानी (सीएलयू): हम व्यवसायों के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और तेज करेंगे।

हरित पहल को बढ़ावा देना

29. हरित भवन और कारखाने:
स्थिरता पर जोर देते हुए, हम अपने उद्योगों को वैश्विक पर्यावरण मानकों के साथ संरेखित करते हुए, हरित भवनों और हरित कारखानों के निर्माण को बढ़ावा देंगे।

30. नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन:
हम व्हीलिंग शुल्क पर पुनर्विचार करेंगे, सहायक बिजली खपत पर विद्युत शुल्क वापस लेंगे, और उद्योगों को पूर्वव्यापी शुल्क से छूट देने के लिए एक राहत योजना पेश करेंगे।

31. RIPS मामलों का समाधान:
लंबित RIPS मामलों के ऑनलाइन समाधान के लिए एक समिति की स्थापना करके त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

32. खनन और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के रूप में:
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, हम खनन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को उद्योगों के रूप में वर्गीकृत करेंगे, जो वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

33. एमएसएमई सुविधा अधिनियम:
एमएसएमई सुविधा अधिनियम के माध्यम से भूमि रूपांतरण, फायर एनओसी, प्रदूषण, कारखानों और बॉयलर पर अनुमति को सरल बनाने से छोटे उद्यमों के लिए परिचालन करना आसान हो सकेगा।

34. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक परिसर:
दिल्ली-मुंबई एफएटी कॉरिडोर में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक परिसर की स्थापना शामिल है, जो औद्योगिक प्रगति का केंद्र होगा।

35. रोहट (पाली) के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: रोहट (पाली) के पास एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव लेकर आयेंगे , हमारा लक्ष्य उद्योग और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देना है, जिससे राजस्थान वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान के रूप में पहचाना जा सके।

36. औद्योगिक भूमि का प्रत्यक्ष आवंटन:
औद्योगिक भूमि के सीधे आवंटन को फिर से शुरू करते हुए, हम व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नीतियों को सरल बनाएंगे।

37. पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना:
हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए राजस्थान के पारंपरिक कपड़ा उद्योग, रंगाई और छपाई को सक्रिय रूप से बढ़ावा देंगे।

9.6 सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास

01. मौजूदा आईटी अवसंरचना का लाभ उठाना:
जयपुर और जोधपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की नींव पर, हम पहले से ही मौजूद मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए, राजस्थान को आईटी व्यवसायों के लिए प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित करेंगे।

02. स्टार्ट-अप और इनोवेशन का समर्थन करना:
नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। हम स्टार्टअप्स को सक्रिय रूप से समर्थन देंगे, उन्हें राजस्थान के तकनीकी परिदृश्य में आगे बढ़ने और योगदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

03. हरित ऊर्जा आपूर्ति:
स्थिरता पर जोर देते हुए, हम हरित ऊर्जा के महत्व को पहचानते हैं। हम हरित ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने का संकल्प लेते हैं, जिससे राजस्थान ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएगा।

04. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना:
अपने युवाओं और भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए, हम गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इस पहल का उद्देश्य उन्हें आईटी क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना और उन्हें रोजगार योग्य और संसाधनपूर्ण बनाना है।

05. राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आर-कैट):
जयपुर और जोधपुर में आर-कैट का संचालन तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। हम ऐसी पहलों का समर्थन और विस्तार करना जारी रखेंगे जिससे राजस्थान तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहे। इसी क्रम में हम फिनटेक विश्विद्यालय की स्थापना करेंगे।

06. किफायती जीवन और सुरक्षित आवास:
जीवंत समुदाय बनाने के अपने प्रयास में, हम आईटी पेशेवरों के लिए किफायती जीवन और सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि लंबी और थका देने वाली यात्राओं की आवश्यकता भी कम हो जाती है, जिससे पेशेवर विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार होता है।

07. नए केन्द्रों का विस्तार - कोटा के निकट रणपुर:
हम कोटा के पास रणपुर पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ भविष्य के दूरदर्शी आईटी केंद्रों के विकास की कल्पना करते हैं। यह विस्तार न केवल विकास को विकेंद्रीकृत करेगा बल्कि आईटी क्षेत्र का लाभ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक भी पहुंचाएगा।

08. प्रमुख शहरों से परे आईटी गंतव्यों का विस्तार :
प्रमुख शहरों से परे क्षमता को पहचानते हुए, हम राज्य भर में समावेशी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करते हुए, छोटे शहरों और कस्बों तक आईटी गंतव्यों का विस्तार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करेंगे।

09. उन्नत कनेक्टिविटी-समर्पित फाइबर कॉरिडोर:
हम डिजिटल युग में कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानते हैं। निर्बाध संचार की सुविधा के लिए, हम राज्य भर में समर्पित फाइबर कॉरिडोर स्थापित करेंगे, जिससे आईटी व्यवसायों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित हो।

9.7 वन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन

01. वनरोपण और हरित आवरण:

- हरित आवरण में वृद्धि: हमारी प्रतिबद्धता राजस्थान के हरित आवरण के भौगोलिक क्षेत्र को 10% तक बढ़ाने, एक स्वस्थ वातावरण और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने की है।
- वनरोपण लक्ष्य: 2030 तक, हमारा लक्ष्य अतिरिक्त 4 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर वनीकरण करना है, जो जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

02. संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव गलियारे:

- उन्नत संरक्षण: हम अपनी समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 5% को कवर करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और वन्यजीव गलियारे: तत्परता के साथ, हम पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचना में तेजी लाएंगे और जानवरों के प्रवास और आवास कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए वन्यजीव गलियारे विकसित करेंगे।

03. पुनः हरियाली के प्रयास:

- वनों से परे: हरियाली बढ़ाने के प्रयासों में वनीकरण के साथ हम और भी प्रयास करेंगे। हम विभिन्न गैर-वन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों का विस्तार करने, 2030 तक वन क्षेत्रों के बाहर 20 करोड़ पौधों के साथ परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

04. इको-पर्यटन और वन्यजीव सफ़ारी:

- नई सफारी और इको-टूरिज्म: 2030 तक, हम 25 स्थानों पर नई सफारी और इको-पर्यटन गतिविधियां शुरू करेंगे, जिससे हमारी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

05. चारागाह भूमि विकास:

- जैव विविधता संरक्षण: हम जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन शमन, कृषि और स्वच्छ पानी के समर्थन में चरागाहों के महत्व को पहचानते हैं। हमारी प्रतिबद्धता चरागाह भूमि को संतुलित रूप से विकसित और संरक्षित करना है।

कचरे का प्रबंधन

06. बायोमेडिकल और औद्योगिक अपशिष्ट:

बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए, हम सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बायोमेडिकल और औद्योगिक कचरे के उचित निपटान और उपचार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

07. एसटीपी और सीईटीपी:

हम प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की संख्या बढ़ाएंगे।

08. शून्य स्तर का निर्वहन:

हमारा लक्ष्य सीईटीपी के लिए शून्य स्तर का निर्वहन हासिल करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

वायु प्रदूषण प्रबंधन

09. पूर्वानुमान प्रणाली:

हम वायु प्रदूषण के स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत प्रणाली विकसित करेंगे, जिससे प्रदूषण से निपटने के लिए सार्थक उपाय किए जायेगे ।

10. सुव्यवस्थित पर्यावरणीय मंजूरी:

आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए, पर्यावरण मंजूरी के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन शासन और आपदा प्रबंधन

11. बेहतर आपदा प्रबंधन:

हमारी प्रतिबद्धता आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मजबूत करने की है।

12. खाद्य और पोषण सुरक्षा:

आपात स्थिति के दौरान, हम अपने समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

13. जल संरक्षण और अनुसंधान:

जल संरक्षण और अनुसंधान में हमारी पहल इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा करते हुए स्थायी जल प्रबंधन में योगदान देगी।

जीवन और आजीविका के लिए जल

14. रोजगार के अवसर:

हमारे जल संरक्षण प्रयासों से हरित बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के विनिर्माण, निर्माण और संचालन में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

15. हरित बुनियादी ढांचा:

अत्याधुनिक हरित बुनियादी ढांचा उद्योगों को आकर्षित करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और हमारे कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिससे एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित होगा।

9.8 शहरी विकास

सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढाँचा

01. समर्पित परिवहन प्राधिकरण:
कुशल शहरी गतिशीलता सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न परिवहन साधनों को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए प्रमुख महानगरीय शहरों के लिए एकल समर्पित परिवहन प्राधिकरण की स्थापना करेंगे।

02. यातायात अवसंरचना:
भीड़भाड़ को कम करने और शहरी यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े शहरों में रिंग रोड, बाईपास सड़कें और महत्वपूर्ण यातायात बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे।

03. वार्ड-स्तरीय विकास योजनाएं:
स्थानीय समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए, बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाते हुए वार्ड-स्तरीय विकास योजनाएं तैयार करेंगे।

04. फेरीवालों के लिए 25% स्थान आरक्षित:
सड़क गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने के लिए नए विकास क्षेत्रों में फेरीवालों के लिए 25% स्थान आरक्षित किया जाएगा।

05. शहर के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा:
गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर ध्यान देते हुए शहर की सड़कों, नालियों और फुटपाथों में सुधार करेंगे। सड़क कटाव और व्यवधान को कम करने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदाताओं के साथ समन्वय करेंगे।

06. वर्षा जल संचयन:
वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देते हुए जल संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए नियमों का अनुपालन लागू करेंगे।

07. इलेक्ट्रिक वाहन:
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और सार्वजनिक पार्किंग स्थानों और सड़कों के किनारे ई-चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करेंगे। विरासत क्षेत्रों में ई-रिक्शा आधारित स्थानीय सार्वजनिक परिवहन शुरू करेंगे।

08. ट्रांसपोर्ट नगर और कनेक्टिविटी:
बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करेंगे और इंट्रा-स्टेट बस टर्मिनल सुविधाओं के माध्यम से सैटेलाइट शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

09. व्यापक जल निकासी योजनाएँ:
विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्षा जल के उचित उपयोग पर जोर देते हुए सभी शहरों के लिए व्यापक वर्षा जल निकासी योजनाएँ तैयार करेंगे।

10. जल भराव समाधान:
प्रभावी जल संचयन समाधानों के माध्यम से शहर की सड़कों पर जल जमाव की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करेंगे।

11. अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण:
स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देते हुए, घरों और व्यावसायिक परिसरों से कचरे का शत प्रतिशत संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन सुनिश्चित करेंगे।

12. आरआरआर केंद्र और नगरपालिका अपशिष्ट निपटान:
रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और नगरपालिका अपशिष्ट निपटान संयंत्रों के लिए संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण (आरआरआर) केंद्र स्थापित करेंगे।

13. सीवरेज सिस्टम अपग्रेड:
शहर के सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, क्षतिग्रस्त लाइनों को बदलेंगे और बेहतर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए वास्तविक समय की निगरानी लागू करेंगे।

14. अपशिष्ट प्रबंधन मशीनें:
सार्वजनिक सुविधा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पिट/कम्पोस्ट मशीनें स्थापित करेंगे और गीले कचरे की घरेलू खाद बनाने को बढ़ावा देंगे।

15. सार्वजनिक स्थानों का सरंक्षण:
जल स्रोतों के संरक्षण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, जल निकायों के आसपास सार्वजनिक स्थानों को पुनर्स्थापित, संरक्षित और उन्नत करेंगे।

आवास

16. सरलीकृत आवास नियम:
आवास से संबंधित नियमों को सरल बनाएंगे और आवास का अधिकार कानून पेश करेंगे, जिससे आवास निर्माण/ सुविधा को सुलभ और किफायती बनाया जा सके।

17. स्टाम्प शुल्क में छूट:
किरायेदारों को राहत देने के लिए 600 वर्ग फुट तक के लीज अनुबंधों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

18. स्वामित्व अधिकार:
निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, पैतृक घरों के स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएँगे।

19. समान आवंटन राशि:
विभिन्न क्षेत्रों में आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी आवास के लिए आवंटित राशि को समान करेंगे।

20. स्लम विकास:

सामुदायिक भागीदारी के साथ स्लम विकास पहल को लागू करेंगे, इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

21. आवास वित्त और सब्सिडी:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवास वित्त और सब्सिडी को बढ़ावा देंगे।

22. छात्रावास और आश्रय गृह:

विशिष्ट आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास, युवा छात्रावास, किराये के आवास, आश्रय गृह और वृद्धाश्रम की स्थापना करेंगे।

सुरक्षा

23. अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाना:

अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, फायर स्टेशन कवरेज का विस्तार किया जाएगा और उन्नत अग्निशमन उपकरण ख़रीदें जाएँगे ।

24. सुरक्षित शहर व्यवस्था:

सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों को अपनाकर, सीसीटीवी कवरेज को बढ़ाकर और नई रखरखाव तकनीकों को अपनाकर शहर व्यव्यस्था में सुधार करेंगे।

25. मवेशी यार्ड स्थानांतरण:

दुर्घटनाओं को कम करने और पर्याप्त दाह संस्कार और दफनाने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों से मवेशी यार्डों को स्थानांतरित करेंगे।

नगर नियोजन

26. नया नगर नियोजन अधिनियम:

शहरीकरण की उभरती जरूरतों के अनुकूल एक नया नगर नियोजन अधिनियम पेश करेंगे, जो सतत विकास के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

27. मास्टर प्लान:

नवगठित जिलों के लिए मास्टर प्लान विकसित करेंगे, जिससे उनमें किये जाने वाले विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित किया जा सके।

28. जीआईएस-आधारित मैपिंग:

डेटा-संचालित शहरी नियोजन सुनिश्चित करते हुए, व्यापक क्षेत्रीय विकास और मास्टर प्लान के लिए जीआईएस-आधारित मैपिंग का उपयोग करेंगे।

29. सार्वजनिक सुविधाएं:

50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में टाउन हॉल और नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका भवनों का निर्माण करेंगे।

30. लैंड पूलिंग योजना:

शहरी विकास और भविष्य की सार्वजनिक सुविधाओं को समायोजित करने के लिए लैंड पूलिंग स्कीम अधिनियम-2016 के तहत योजनाएं विकसित करेंगे।

31. शहर सौंदर्यीकरण परियोजनाएँ:

शहरी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी के साथ शहर सौंदर्यीकरण परियोजनाओं को लागू करेंगे।

32. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी जिलों में नए हवाई पट्टियाँ विकसित करेंगे।

33. हरित और प्रदूषण मुक्त परिवहन:

विद्युत और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगे।

9.9 पर्यटन

रात्रि पर्यटन और बाज़ार कार्यक्रम

01. जयपुर बाई नाईट :

जयपुर में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दुबई और गोवा में आयोजित होने वाले वैश्विक त्यौहारों की तर्ज़ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत, स्ट्रीट फूड इत्यादि के साथ रात्रि में शहर की जीवंतता को बढ़ावा देंगे।

02. शाम के बाज़ारों में कार्यक्रम :

सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कला, संस्कृति और संगीत को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों को शाम के बाज़ारों में शामिल करेंगे। विविध और समावेशी अनुभव के लिए बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेंगे।

03. वैकल्पिक पर्यटन संवर्धन:

राजस्थान की पर्यटन पेशकशों में विविध अनुभवों को जोड़ते हुए विशिष्ट पर्यटन, मानसून पर्यटन, साल्ट पर्यटन और रात्रि बाज़ारों को शामिल करेंगे।

04. विरासत-आधारित शहरी नियोजन:

प्रगति को बढ़ावा देते हुए राजस्थान की विरासत को संरक्षित करने के लिए विरासत-आधारित शहरी नियोजन और भवन नियमों को अपनायेंगे।

05. स्मार्ट ट्रैवल इन्फ्रास्ट्रक्चर:

पर्यटन स्थलों पर समग्र यात्रा अनुभव को महसूस करने हेतु वहाँ निर्बाध नेविगेशन के लिए इसे एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस करेंगे ।

चिकित्सा पर्यटन

06. चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना:

राजस्थान की शीर्ष स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा पर्यटन को विकसित किया जाएगा जिससे राजस्व और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ।

07. विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग:

राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय मरीजों को उपचार की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग स्थापित करेंगे और साथ ही एयरलाइन ऑपरेटरों को जयपुर से उड़ानें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

08. राजदूतों का गोलमेज सम्मेलन:

दूतावासों के प्रमुखों को अस्पतालों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेंगे और राज्य की चिकित्सा सुविधाओं को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे।

समुदाय-आधारित सूची और दस्तावेज़ीकरण

09. अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण:
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करने के लिए विभिन्न समुदायों को उनकी पारंपरिक प्रथाओं और मौखिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

10. हेरिटेज प्रॉपर्टीज के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता :
विरासत संपत्तियों के विकास और रखरखाव में निवेश के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विकल्पों पर काम करेंगे।

11. डिजिटल पर्यटन कौशल:
राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्यबल के डिजिटल पर्यटन कौशल में सुधार करेंगे।

12. पारंपरिक संगीत का डिजिटलीकरण:
पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने के लिए लिगेसी ऑडियो संग्रह और गाथागीत परंपराओं का डिजिटलीकरण करेंगे।

13. क्षेत्र और सर्किट-आधारित पर्यटन मास्टर प्लान:
विभिन्न सर्किटों में बुनियादी ढांचे के अंतराल का आकलन करेंगे और बजटीय सहायता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित इन अंतरालों को कम करने के लिए प्रस्ताव विकसित करेंगे।

14. MICE पर्यटन:
राजस्थान के विभिन्न पर्यटन सर्किट में बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

15. सामुदायिक भागीदारी और स्वच्छता:
विरासत स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ स्मारक योजना शुरू करेंगे और स्वच्छता मानकों को निर्धारित करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे।

16. सुलभ पर्यटन:
पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पैदल मार्ग, रैंप, लिफ्ट और सुलभ शौचालय आदि सुविधाएँ विकसित की जायेंगी ।

17. हवाई अड्डे का बुनियादी ढांचा:
हवाई अड्डों का उन्नयन, मरम्मत और आधुनिकीकरण, नए हवाई क्षेत्रों का निर्माण, और कुशल हवाई यात्रा के लिए पर्यटन स्थलों तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ।

18. सूचना साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड:
आवश्यक जानकारी के लिए प्रमुख स्मारकों और वन्यजीव पार्कों में साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए जाएँगे। आगंतुकों की सुविधा के लिए पर्यटक-अनुकूल व्याख्या/सूचना केंद्र स्थापित किए जाएँगे।

19. स्मारक संरक्षण:
स्मारकों और पर्यटक स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के साथ सहयोग करेंगे।

20. प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल:

ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हुए और कम प्रसिद्ध स्थलों को उजागर करते हुए, 2030 तक प्रत्येक जिले में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे।

21. ग्राम पर्यटन और शहर महोत्सव:

स्थानीय लोगों के बीच गांव पर्यटन और शहर त्यौहारों को बढ़ावा देंगे , एवं आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बढ़ावा देंगे।

22. पर्यटन इकाई वर्गीकरण योजना:

पर्यटन इकाइयों के वर्गीकरण, आवास प्रदान करने वाले मौजूदा होटलों और प्रतिष्ठानों को चिन्हित करने और नियमित करने के लिए एक योजना शुरू करेंगे।

23. विशेष पर्यटन क्षेत्र:

महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने, प्रशासन की जिला पर्यटन विकास समितियों को सशक्त बनाया जाएगा।

24. विरासत स्थल प्रबंधकों के लिए क्षमता-निर्माण:

पर्यटन प्रक्रियाओं एवं कानून और सांस्कृतिक परम्पराओं के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विरासत स्थल प्रबंधकों के लिए क्षमता-निर्माण में निवेश करेंगे।

25. निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन:

विशेष पर्यटन क्षेत्रों के भीतर पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

26. युवा जागरूकता अभियान:

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करेंगे।

27. पर्यटन संपर्क के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म:

युवाओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के बीच बातचीत और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करेंगे , जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रोज़गार के अवसरों और कैरियर मार्गदर्शन के लिए सहायक होगा।

28. अपस्किलिंग और रिस्किलिंग:

विदेशी भाषा प्रशिक्षण और अंतर-सांस्कृतिक संचार सहित पर्यटन कर्मियों के लिए अपस्किलिंग और रिस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करेंगे।

29. मास्टर ट्रेनर्स अकादमी:

पर्यटन और आतिथ्य-संबंधी कौशल में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करने के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेंगे।

30. शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम:

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पर्यटन और आतिथ्य-संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे , जिससे छात्रों को इस क्षेत्र में करियर के लिए तैयार किया जा सके।

31. एसआईएचएम के लिए संचालन समिति:

राज्य होटल प्रबंधन संस्थानों (एसआईएचएम) की निगरानी करने और संस्थानों, सरकार और पर्यटन उद्योग के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाएँगा।

32. पर्यटन व्यापार अधिनियम में संशोधन:
टीएएफ कर्मियों को अधिक प्रभावी कर्तव्यों के लिए सशक्त बनाते हुए, राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा और विनियमन) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेंगे।

33. पर्यटन पुलिस के साथ समन्वय:
पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सहायता में सुधार के लिए पर्यटन पुलिस और नियमित पुलिस स्टेशनों के साथ पर्यटक सहायता बल की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

34. टीएएफ कर्मियों के लिए सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण:
टीएएफ कर्मियों की समग्र दक्षता और पर्यटकों के साथ बातचीत को बढ़ाने के लिए उन्हें सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

35. सुरक्षा और सूचना ऐप:
पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा और सूचना ऐप विकसित किया जाएगा जो शिकायत पंजीकरण, शिकायत निवारण और सूचना पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

36. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन:
पर्यटन क्षेत्र में स्टार्ट-अप को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ के लिए पात्र बनाना तथा निवेश और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

37. बाजार अनुसंधान सहायता:
बाजार के रुझान और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए पर्यटन उद्यमों और स्टार्ट-अप के लिए बाजार अनुसंधान सहायता प्रदान करेंगे।

38. वार्षिक 'राजस्थान स्टार्ट-अप टूरिज्म कनेक्ट':
पर्यटन क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि उन्हें संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों से जोड़ा जा सके।

39. राजस्थान पर्यटन बोर्ड:
राज्य में पर्यटन क्षेत्र की देखरेख और रणनीतिक प्रबंधन के लिए राजस्थान पर्यटन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

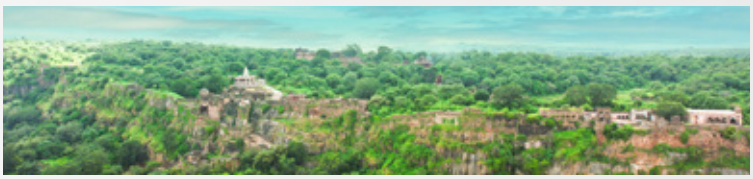

सामजिक कल्याण

सामजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम एक हज़ार रूपए प्रतिमाह पेंशन, हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि की प्रतिबद्धता को हम एक बार पुनः दोहराते हैं।

10.1 बाल कल्याण

बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए एक राज्य बाल संरक्षण नीति बनाई जायेगी.

हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य सेवा

01. निःशुल्क त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच:
स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में निःशुल्क त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेंगे।

02. गंभीर स्थितियों के लिए नि:शुल्क उपचार:
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए, हृदय रोगों जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों सहित नि:शुल्क उपचार प्रदान करेंगे।

03. एचआईवी स्क्रीनिंग और एआरटी उपलब्धता:
एचआईवी के लिए स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करेंगे और प्रभावित बच्चों के लिए जीवन रक्षक एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

04. नवजात शिशुओं के लिए बीईएआई परीक्षण:
जन्मजात विकारों के मामलों में शीघ्र पता लगाने और समय पर हस्तक्षेप के लिए नवजात शिशुओं के लिए बीईएआई परीक्षणों की व्यवस्था करेंगे।

05. श्रवण और वाणी विकलांगता के लिए सहायता:
श्रवण और वाणी विकलांगता वाले बच्चों को सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित चिकित्सकों से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आवश्यक देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी।

स्वच्छता और शिक्षा

06. आंगनबाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं:
युवा लड़कियों की गरिमा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी आंगनबाड़ियों को स्वच्छता सुविधाओं से लैस करेंगे और मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करेंगे।

07. 12वीं कक्षा तक मध्याह्न भोजन:
बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 12वीं कक्षा तक मध्याह्न भोजन प्रदान करेंगे।

08. सामुदायिक पुस्तकालय:
सभी बच्चों के लिए सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक/मोबाइल पुस्तकालयों की स्थापना की वकालत करेंगे।

09. साइबर और ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा:
डिजिटल दुनिया में उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को साइबर और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करेंगे।

10. अलग बाल देखभाल संस्थान:
सभी जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग बाल देखभाल संस्थान संचालित करेंगे, जो बेहतर पुस्तकालय और संचार सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।

सुरक्षा और समावेशिता सुनिश्चित करना

11. समर्पित शिकायत पोर्टल:
बच्चों के खिलाफ अपराधों और युवाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित शिकायत पोर्टल बनायेंगे।

12. परित्यक्त बच्चों के लिए दस्तावेज़ समर्थन:
सुनिश्चित करेंगे कि परित्यक्त या अनाथ बच्चों को आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त होंगे।

13. विकलांगता-अनुकूल स्कूल भवन:
यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, सभी स्कूल भवनों को विकलांगता-अनुकूल बनायेंगे।

14. ऑटिज्म-अनुकूल मूल्यांकन:
ऑटिस्टिक बच्चों की अनूठी जरूरतों को पहचानते हुए, बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित प्रश्न पत्र पेश करेंगे।

15. ब्रेल और सांकेतिक भाषा संसाधन:
सभी सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेल और सांकेतिक भाषा संसाधन स्थापित करेंगे।

16. सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित अधिकारी:
प्रभावी संचार की सुविधा के लिए अदालतों, अस्पतालों और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।

17. विकलांग बच्चों के लिए अलग शौचालय और छात्रवृत्ति:
विकलांग बच्चों के लिए अलग शौचालय बनायेंगे और उनकी शिक्षा में समर्थन के लिए 1000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

सभी के लिए पहुंच

18. स्कूल बसें और छात्रावास सुविधाएं:
शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल बसें और आवासीय छात्रावास सुविधाएं प्रदान करेंगे।

19. घुमंतू समुदाय के बच्चों के लिए पहचान दस्तावेज़:
घुमंतू समुदाय के बच्चों को उनके समृद्ध इतिहास और संस्कृति में योगदान का जश्न मनाते हुए आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ प्राप्त होंगे।

20. बाल अधिकार आयोग:
राजस्थान के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और वकालत के लिए एक समर्पित बाल अधिकार आयोग बनायेंगे।

21. आंगनबाड़ियों को क्रेच के रूप में विकसित करना:
आंगनवाड़ियों को क्रेच के रूप में विकसित करके समावेशी और पोषित वातावरण को बढ़ावा देंगे।

22. बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम :
बाल श्रम और बाल विवाह को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाये जाएँगे।

10.2 एससी/एसटी, ओबीसी और एमबीसी कल्याण

01. समान अवसर आयोग की स्थापना:

सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना करेंगे।

02. आरक्षित कोटे की ख़ाली रही सीटों (बैक लॉग)को आगे ले जायेंगे:

प्रतिनिधित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित करते हुए, आरक्षित कोटा की ख़ाली रही सीटों को तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जायेगा।

03. पाठ्यक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं आदर्शों का समावेश:

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन और आदर्शों पर एक पाठ्यक्रम शामिल करेंगे , जिससे उनके योगदान के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा मिले।

04. आरक्षण समायोजन:

जनगणना में गणना की जाने वाली वास्तविक जनसंख्या के अनुसार एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रतिशत को संशोधित करेंगे।

05. शैक्षिक सहायता:

एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में उनकी शिक्षा में सहायता के लिए प्रति माह 3000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

06. अधिकारों की सुरक्षा:

जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवसाय अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

07. डॉ. अम्बेडकर की विरासत का प्रचार:

- अम्बेडकर भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेंगे।
- डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को अनुसंधान एवं विकास अध्ययन केंद्र घोषित करेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र स्थापित करेंगे।
- एससी/एसटी छात्रवृत्ति को सरल बनायेंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

08. उद्यमिता सहायता:

- सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण प्रदान करेंगे।
- कृषि और कृषि क्षेत्रों में एससी/एसटी/एमबीसी/ओबीसी किसानों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे।

09. विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण:

- सरकार द्वारा अनुबंधित विभिन्न संविदा रोजगारों में आरक्षण लागू करेंगे।
- सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को आरक्षण प्रदान करेंगे।

10. सामुदायिक सद्भाव पहल:

- समुदायों के बीच नफरत और शत्रुता को दूर करने के लिए जिला स्तर पर सुलह और सौहार्द समितियां बनायेंगे।

11. हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता:

- एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से दलित/आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता विकसित करेंगे।

12. जनजातीय कल्याण:

- आदिवासी युवाओं के उत्थान के लिए जयपुर और उदयपुर में अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण सुविधाएं और संग्रहालय स्थापित करेंगे।
- घुमंतू जनजातियों की गणना के लिए सामाजिक-आर्थिक जनगणना करेंगे।
- आदिवासियों के ऐतिहासिक विरासत स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करेंगे।
- मानगढ़ को राष्ट्रीय जनजातीय स्मारक घोषित कराने का प्रयास करेंगे।

13. स्वच्छता कार्यकर्ता सशक्तिकरण:

- महर्षि वाल्मिकी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे।
- राज्य वाल्मिकी कल्याण बोर्ड और सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करेंगे।
- उन सफाई कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे जो कार्य करने के लिए चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह फिट नहीं हैं।
- सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में सीधे रोजगार के बदले अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करेंगे।
- वाल्मिकी समुदाय पर विशेष जोर देते हुए सफाई कर्मचारियों को 50,000 नौकरियां प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।
- वाल्मिकी समाज और सफाई कर्मचारियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

14. अत्याचार निवारण एवं सरलीकरण:

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार कम करने के लिए ईमानदार एवं निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्तियां करेंगे।
- जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनायेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति सब-प्लान को अधिनियम में बदलेंगे।
- एससी/एसटी सब-प्लान का 25% एससी/एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे।
- एससी/एसटी से संबंधित अत्याचार के मामलों और राजस्व मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे। शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करेंगे।

15. प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना

- एससी/एसटी की आबंटित कृषि भूमि जो उनके क़ब्ज़े में नहीं है, को मुक्त कराने और उन्हें वापिस दिलवाने के लिए कानून लागू करेंगे।
- दलित बच्चों और महिलाओं को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे।
- दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण लागू करेंगे।
- दलित महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू करेंगे।

16. ओबीसी/एमबीसी कल्याण

- आयु सीमा और पदोन्नति लाभों में छूट के साथ अधिकांश पिछड़े वर्गों (एमबीसी) के लिए आरक्षण जारी रखेंगे।
- देवनारायण योजना का वार्षिक बजट बढ़ायेंगे।
- एमबीसी श्रेणी के छात्रों और पीएच.डी करने वाले को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- एमबीसी श्रेणी के पशुपालकों को ऋण और बीएमसी प्रदान करेंगे।
- एमबीसी वर्ग के पशुपालकों के बीच पंजीकृत महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देंगे।
- एमबीसी वर्ग के लिए कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शन का विस्तार करेंगे।

17. गैर-अधिसूचित जनजाति सशक्तिकरण:

- घुमंतू जनजातियों को स्थायी पहचान दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रभावी नए मानदंड स्थापित करेंगे।
- घुमंतू अर्धघुमंतू जनजातियों पर विशेषज्ञता वाला एक शोध संस्थान स्थापित करेंगे।
- डीएनटी बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में लाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित करेंगे।
- डीएनटी महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित करेंगे।

10.3 अल्पसंख्यक कल्याण

01. मजबूत अल्पसंख्यक विकास नीति:

अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए समुदाय के नेताओं और विशेषज्ञों के परामर्श से एक मजबूत अल्पसंख्यक विकास नीति का मसौदा तैयार करेंगे और लागू करेंगे।

02. न्यायसंगत बजटीय आवंटन :

अल्पसंख्यक विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बजट का अधिक न्यायसंगत हिस्सा सुनिश्चित करेंगे और अल्पसंख्यक विभाग के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे।

03. कुशल भर्ती प्रक्रियाएँ:

कुशल और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देते हुए, अल्पसंख्यक विभाग के भीतर सभी मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना विकसित और कार्यान्वित करेंगे।

04. अल्पसंख्यकों के लिए एम्पावर्ड समिति का गठन:

हम अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन करेंगे एवं उनके द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करेंगे तथा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे।

05. सिख तीर्थस्थलों का नवीनीकरण:

सिख समुदाय के नेताओं और धार्मिक अधिकारियों के सहयोग से, श्रीगंगानगर में बुड्ढा जौहड़ जैसे सिख तीर्थस्थलों का व्यापक नवीनीकरण करेंगे।

06. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पुनः शुरुआत:

हम केंद्र सरकार से अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को फिर से शुरू करने का आग्रह करेंगे।

07. जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण:

जातीय जनगणना के बाद हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम करेंगे।

10.4 दिव्यांग जन, निराश्रित एवं बुजुर्ग

01. राशन कार्ड के लाभ

वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और दिव्यांग राशन कार्ड धारकों के लिए घर तक डिलीवरी का उचित लाभ सुनिश्चित करेंगे।

02. शिकायत निवारण समिति

वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों और दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करेंगे।
उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों के समाधान के लिए हर तीन महीने में एक बार समिति की मीटिंग बुलायेंगे।

03. सरलीकृत ऋण प्रक्रियाएँ

दिव्यांग लोगों को स्व-रोज़गार की दिशा में सहायता देने के लिए सरलीकृत ऋण प्रक्रियाएं सुनिश्चित करेंगे।

04. रोजगार के अवसरों में वृद्धि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 100 कार्य दिवस प्रदान करेंगे।

10.5 पूर्व सैनिक कल्याण

01. पूर्व सैनिकों का कल्याण:

हम पूर्व सैनिकों की माँगों के अनुरूप हम सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनोयाओं एवं नीतियों का पुनः परीक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

02. पीडीएस के साथ सीएसडी का एकीकरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के साथ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के एकीकरण के विकल्पों का पता लगायेंगे।

03. पीएचसी के साथ ईसीएचएस का एकीकरण:

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के साथ एकीकृत करेंगे।

04. शहीद स्मारक उत्कीर्णन:

अपने संबंधित जिलों के शहीद स्मारकों पर शहीदों के नाम उत्कीर्ण करेंगे।

05. अर्धसैनिक बल:

अर्धसैनिकों की गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं और उचित अधिकार प्रदान करेंगे।

प्रशासन

11.1 शासन

01. जातिगत जनगणना:
सकारात्मक कार्रवाई पर बेहतर निर्णय के लिए जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि वास्तविक जनसंख्या के आधार पर जनता को लाभ प्रदान किए जा सके।

02. विधान परिषद:
व्यापक भागीदारी के लिए राजस्थान में विधान परिषद लायेंगे।

03. समयबद्ध भर्ती के लिए कानून:
समयबद्ध सरकारी भर्ती प्रक्रिया के लिए कानून पेश करेंगे।

04. निकटतम दो शहरों के लिए संयुक्त विकास प्राधिकरण का गठन:
निकटतम दो शहरों के लिए संयुक्त विकास प्राधिकरण का गठन करेंगे।

05. वार्षिक ऑडिट:
सरकारी और अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य वार्षिक ऑडिट लागू करेंगे।

06. तर्कसंगत बजट आवंटन:
कम विकसित जिलों के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु जिलेवार बजट आवंटन को तर्कसंगत बनायेंगे।

07. सरकारी विभाग युक्तिकरण:
संसाधनो के कुशल उपयोग के लिए सरकारी विभागों को तर्कसंगत और मजबूत करेंगे।

त्वरित न्याय एवं पुलिस सुधार

08. फास्ट-ट्रैक कोर्ट:
6 महीने के भीतर सभी अपराधियों का फास्ट-ट्रैक कोर्ट में त्वरित मुकदमा चलायेंगे।

09. पुलिस पूर्वाग्रह के लिए सख्त सज़ा:
पक्षपात और भेदभाव में लिप्त पुलिस अधिकारियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान लागू करेंगे।

10. प्रशासनिक प्रभाग समायोजन:
गाँवों और शहरों में जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर प्रशासनिक प्रभागों को समायोजित करेंगे।

डेटा-संचालित शासन

11. डेटा-संचालित शासन संस्कृति:
डेटा विश्लेषण के साथ डेटा-संचालित शासन की संस्कृति स्थापित करेंगे।

12. जन आधार फाउंडेशन:
सरकारी डेटाबेस के आधार रूप में जन आधार के उपयोग का विस्तार करेंगे।

13. क्लाउड-आधारित सेवाएँ:
सभी सरकारी विभागों को क्लाउड-आधारित सेवाएँ प्रदान करेंगे।

14. जन सूचना पोर्टल को मजबूत बनाना:
जन सूचना पोर्टल को और मजबूत करेंगे।

15. प्रौद्योगिकी विकास :
विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे।

16. आईटी हब और क्लस्टर:
राज्य भर में आईटी हब और क्लस्टर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

17. आईटी/आईटीईएस कंपनियों की मान्यता: विभिन्न श्रेणियों के तहत टियर II शहरों में स्थापित आईटी/आईटीईएस कंपनियों को मान्यता देंगे।

18. जिला-स्तरीय आपातकालीन संचालन केंद्र:
आपदा प्रतिक्रिया के लिए जिला-स्तरीय राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित करेंगे।

19. ग्राम पंचायतों तक फाइबर कॉरिडोर:
ग्राम पंचायत स्तरों तक फाइबर कॉरिडोर का विस्तार करेंगे।

भ्रष्टाचार को खत्म करना और शासन को बेहतर बनाना

20. जीरो डिस्क्रेशन नीतियां:
भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए जीरो डिस्क्रेशन नीतियां लागू करेंगे।

21. कैशलेस प्रणाली अपनाना :
शासन में कैशलेस प्रणाली को अपनाएंगे।

22. कार्य पूरा करने पर वारंटी:
ठेकेदारों द्वारा किए गये कार्य पर न्यूनतम 5 साल की वारंटी की गारंटी देंगे, समय और गुणवत्ता की शिकायतों के आधार पर ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही की जायेगी।

23. ठेकेदारों द्वारा स्थानीय खरीद:
बड़ी परियोजनाओं में ठेकेदारों को सामग्री खरीद का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य के भीतर से करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

24. भ्रष्टाचार के मामलों की समय पर कार्यवाही:
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, कार्यवाही के दौरान आरोपी अधिकारियों के वेतन में कटौती की जायेगी।

25. उर्वरक सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण:
उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित करेंगे।

26. अधिकारियों का रोटेशन:
अधिकारियों को 3 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनात न करने की नीति लागू करेंगे।

पुलिस निगरानी और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना

27. सीसीटीवी निगरानी विस्तार:
सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों तक सीसीटीवी निगरानी का विस्तार करेंगे।

28. डिजिटल मोबाइल नेटवर्क कार्यान्वयन:
सभी जिलों में डिजिटल मोबाइल नेटवर्क लागू करेंगे।

29. पुलिस स्टेशनों का आधुनिकीकरण:
उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के साथ पुलिस स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेंगे।

30. ई-चालान सुविधाओं का विस्तार:
नगर निगम बोर्डों द्वारा प्रशासित कस्बों तक ई-चालान सुविधाओं का विस्तार करेंगे।

31. जनसंख्या अनुपात में पुलिस संख्याबल में वृद्धि:
जनसंख्या अनुपात में पुलिस संख्याबल में वृद्धि और पुलिस मित्र और ग्राम रक्षकों की संख्या का विस्तार करेंगे।

32. पुलिस विभाग के भीतर जॉब रोटेशन:
कर्मचारियों को विभिन्न भूमिकाओं और दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए पुलिस विभाग के भीतर और बाहर जॉब रोटेशन सुनिश्चित करेंगे।

मानव संसाधन प्रबंधन

33. भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल:
सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनायेंगे।

34. मजबूत भर्ती एजेंसियां:
कुशल और पारदर्शी भर्ती के लिए भर्ती एजेंसियों को मजबूती प्रदान करेंगे।

35. सेवा नियमों में कमी:
सेवा नियमों की संख्या 157 से घटाकर 7 करेंगे।

36. विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त वेतन वृद्धि:
विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रावधानों को शामिल करेंगे।

37. विकेंद्रीकृत एपीएआर प्रणाली:
बेहतर कर्मचारी मूल्यांकन के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रणाली को विकेंद्रीकृत करेंगे।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

38. विविध प्रशिक्षण कैटलॉग:
बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप एक विविध प्रशिक्षण कैटलॉग प्रणाली विकसित करेंगे।

39. उत्कृष्टता केंद्र:
प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान के भीतर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे।

40. अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम:
सरकारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे।

41. मेंटरशिप कार्यक्रम:
अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में नई नियुक्तियों को तैयार करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम लागू करेंगे।

42. क्षमता निर्माण के लिए फंडिंग:
प्रत्येक विभाग के भीतर क्षमता निर्माण के लिए फंडिंग आवंटित करेंगे।

पुरानी पेंशन योजना

43. सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS क़ानून:
OPS को कानूनी आधार देने के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा।

स्थानीय राजस्व सृजन

44. भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:
किसानों को लाभ पहुंचाने और जमीन से जुड़े मामलों को सुव्यवस्थित करने हेतु भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेंगे।

45. समिति की स्थापना:
शहरी प्रशासन के राजस्व और संरचनाओं का अध्ययन करने और उन्हें बेहतर बनाने हेतु राज्य स्तर पर एक नगरपालिका राजस्व अनुसंधान समिति का गठन करेंगे।

11.2 नियम एवं कानून

01. नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए कड़े कानूनी उपाय:
नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेंगे।

02. महिलाओं और बच्चों पर अपराधों के खिलाफ कार्य योजना:
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित और कार्यान्वित करेंगे.

03. हिंसा के मामलों के लिए विशेष इकाइयाँ:
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा या दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों को संभालने के लिए विशेष इकाइयाँ और संसाधन आवंटित करेंगे।

04. पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:
पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या का 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

05. लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण:
पुलिस भर्ती में लैंगिक अल्पसंख्यकों को उचित आरक्षण देंगे।

06. कानून प्रवर्तन में महिलाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम:
अधिक महिलाओं को कानून प्रवर्तन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आउटरीच और भर्ती कार्यक्रम लागू करेंगे।

07. नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण:
जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों में नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे।

08. मौजूदा पुलिस स्टेशनों का नवीनीकरण:
मौजूदा पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए इनके नवीनीकरण के लिए धन आवंटित करेंगे।

09. तकनीकी उपकरणों का एकीकरण:
पुलिस बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों को शामिल करेंगे।

10. एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन:
बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशनों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों को लागू करेंगे।

11. त्वरित भर्ती प्रक्रिया:
पुलिस विभाग में सभी रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देकर उसमें तेजी लायेंगे।

12. पुलिस कल्याण केंद्र:
सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की सेहत के लिए हर जिले में पुलिस कल्याण केंद्र बनायेंगे।

12. कला एवं संस्कृति

फिल्म सिटी की स्थापना

01. समयबद्ध योजना और निर्माण:
कार्यकाल के पहले वर्ष के भीतर एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी की योजना और निर्माण शुरू करेंगे।

02. उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग:
हम सुनिश्चित करेंगे कि यह फिल्म निर्माण के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगी और इसके लिए हम उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ सहयोग करेंगे।

03. रचनात्मकता के लिए अनुकूल वातावरण:
फिल्म सिटी के भीतर रचनात्मकता, नवाचार और सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनायेंगे।

नवीन सांस्कृतिक नीति निर्माण

04. सांस्कृतिक विशेषज्ञों की समिति:
राजस्थान के लिए एक व्यापक सांस्कृतिक नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सांस्कृतिक विशेषज्ञों, कलाकारों और हितधारकों की एक समिति बनायेंगे।

05. विविध कला रूपों का प्रचार और संरक्षण:
इस नीति में विविध कला रूपों और सांस्कृतिक शैलियों के प्रचार और संरक्षण को प्राथमिकता देंगे।

06. समावेशिता के लिए सामुदायिक परामर्श:
समुदाय से इनपुट इकट्ठा करने और सांस्कृतिक नीति निर्माण में समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु जनता से परामर्श लेंगे।

लोक कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र

07. विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र:

लोक कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान की तर्ज पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जायेंगे।

08. कौशल वृद्धि कार्यक्रम:

लोक कारीगरों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल वृद्धि कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वित करेंगे।

09. क्षमता-निर्माण पहल:

क्षमता-निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन देते हुए पारंपरिक शिल्प के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

आपके लिये
मुख्यमंत्री का संदेश

स्कैन करें

टैप करें

क्लिक करें